रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D 222

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 1972/आषाढ़ 10, 1894

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 1972/ASADHA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

CABINET SECRETARIAT

(Department of Statistics)

New Delhi, the 22nd May 1972

G.S.R. 792.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Central Service (Class III posts in the Industrial Statistics Wing, Central Statistical Organisation, Calcutta, Cabinet Secretariat) Recruitment Rules, 1959, namely:—

(1) These rules may be called the General Central Service (Class III Posts in the Industrial Statistics Wing, Central Statistical Organisation, Calcutta, Cabinet Secretariat) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the General Central Service (Class III posts in the Industrial Statistics Wing, Central Statistical Organisation, Calcutta, Cabinet Secretariat) Recruitment Rules, 1959, (i) in Serial No. 9, in column 1, for the entry "Computor", the entry "Computor" (Junior Scale) shall be substituted; (ii) after Serial No. 9 and the entry relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely:—

1. "10-LDC(Selection Grade)"
2. "11-Computor (Senior Scale)" and
3. "12-Accountant"

SCHE
class III posts in

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
10. Lower Division Clerk (Selection grade)		General Central Service Class III (Non Ministerial non-Gazetted)	Rs. 150-5-175-6-205-EB-7-240	Non-Selection post	Not applicable	Not applicable
Computor (Senior Scale)	8	General Central Service Class III (Non-Ministerial Non-Gazetted)	Rs. 150-5-160-8-240-EB-8-280-10-300.	Non-Selection post.	Not applicable	Not applicable
2. Accountant	1	General Central ServiceClass III (Ministerial) Non-Gazetted.)	Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300	Selection post	19-23 years	(i) Higher Secordary or equivalent examination of a recognised or University or Board. ii) 5 years experience in the Accounts Department preferably qualified in the SAS Examination or having other suitable qualification experience of audit and accounts

DULE
I.S. Wing, Calcutta

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruit will apply in case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer & percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer/grades from which promotion is to be made	If DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is be consulted making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	1000% by promotion	*Promotion*:—from amongst the Lower Division Clerks including Clerk-incharge with the minimum period of 10 years service in the grade of Lower Division Clerk.	Class III DPC	Not applicable
Not applicable	2 years	100% by promotion.	*Promtion*:—from amongst the Computor (Junior Scale) with a minimum period of 5 years service in that grade.	Class III DPC	Not applicable
No.	2 years.	By promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	*Promotion*: Lower Division Clerks in the I.S. Wing, CSO, Calcutta with 5 years service in the grade. *Transfer*: Persons holding similar or equivalent post in other Central Government Office including Accountant General's Office.	Class III DPC	Not applicable.

[No. A-12018/4/71-Estt. II]

J. P. SINGH, Dy. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(सांख्यिकी भाग)

नई दिल्ली, 22ई, 1972

सा०का०नि० 792.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सामान्य केन्द्रीय सेवा (नियमों) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, कलकत्ता मंत्रिमंडल सचिवालय के औद्योगिक सांख्यिकीय स्कंध में श्रेणी III के पद) में आगे और संशोधन करते हुए निम्नलिखित भर्ती नियम 1959 बनाते है अर्थात :—

(1) ये नियम सामान्य केन्द्रीय सेवा (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन कलकत्ता, मंत्रिमंडल सचिवालय के औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध में श्रेणी III के पद) भरती (संशोधन) नियम, 1972 कहे जायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सामान्य केन्द्रीय सेवा (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन कलकत्ता मंत्रिमंडल सचिवालय के औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध में श्रेणी III के पद) भर्ती नियम, 1959 की अनुसूची में कालम 1 के अन्तर्गत (i) क्रम सं० 9 में "संगणक" प्रविष्टि के लिए "संगणक" (कनिष्ठ वेतनमान) "प्रविष्टि प्रस्थापित किया जाएगा। (II) क्रम सं० 9 और उससे सम्बन्धित प्रविष्ट के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां अंतर्विष्ट की जाएगी।

1. "10 अवर श्रेणी लिपिक (चयन पदक्रम)"
2. "11 संगणक (वरिष्ट वेतनमान)"
3. "12 लेखा पाल

अनु
श्रो० सा० स्कंध, कलकत्ता में

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा चयनेतर पद है	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती द्वारा चुने जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिणक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
10. अवर श्रेणी लिपिक (चयन पदक्रम)	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III (लिपिक-वर्गीय) अराजपत्रित ।	रु० 150-5-175-6-205-द०रो० 7-240	चयनेतर पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11. संगणक (वरिष्ठ वेतनमान)	8	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III (लिपिक-वर्गीय अराजपत्रित ।	रु० 150-5-160 8-240-द०रो० 8-280-10-300	चयनेतर पद	यथोपरि	यथोपरि
12. लेखापाल	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III (लिपिक-वर्गीय) अराजपत्रित ।	रु० 130-5-160-8-200-द०रो०-8-256-द०रो० 8-280-10-300	चयन पद	19-23 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष परीक्षा (ii) लेखा विभाग में 5 वर्षों का अनुभव विशेषत: एम ए एस (वरिष्ठ लेखा परीक्षा सेवा) परीक्षा में अन्य अर्हता/अनुभव

सूचियां

श्रेणी III के पद

क्या सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिणिक अर्हताएं पदोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में लागू होंगे	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो ?	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का प्रतिशत	यदि भर्ती पदोन्नति /स्थानान्तरण द्वारा की गई हो तो किन ग्रेडों से पदोन्नति की गई है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसका गठन क्या है	ऐसी परिस्थितियां जिनमे लोक सेवा आयोग से भर्ती करते समय परामर्श लिया जाता है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नही होता	100% पदोन्नति द्वारा	अवर श्रेणी लिपिक में कम से कम 10 वर्षों को सेवा करने वाले प्रभारी लिपिकों सहित अवर श्रेणी के लिपिकों के में से पदोन्नति द्वारा ।	श्रेणी III वि०प० स० लागू नही होता	
यथोपरि	2 वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा	संगणक (कनिष्ठ वेतनमान) में कम से कम 5 वर्ष सेवा करने वाले व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा ।	श्रेणी III वि० प० स० यथोपरि	
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा अन्यथा स्थानान्तरण द्वारा और दोनो के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**पदोन्नति** – औद्योगिक सांख्यिकों स्कंध के सां० सं० कलकत्ता में अवर सचिव श्रेणी लिपिक जो उक्त ग्रेड में 5 वर्ष सेवा किया हो ।	श्रेणी III वि० प० स० यथोपरि	

[त० ए-12018/4/71-संस्था II

ज० प्र० सिंह, उप सचिव

(Department of Personnel)

New Delhi, the 8th June 1972

G.S.R. 793.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Ninth Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954,—

(i) In Schedule III-A, in the title, for the words "time-scale pay", the words "senior scale pay" shall be substituted;

(ii) in sub-heading "Union territories and NEFA", the words "and NEFA" shall be omitted;

(iii) under the sub-heading "Union territories", as so amended,—

(a) under "Delhi Administration", the entry relating to "Housing Commissioner" shall be omitted;

(b) the whole entry relating to "Government of Goa, Daman and Diu" shall be omitted;

(iv) in Schedule III-B,—

(a) in the title and in paragraph (1), for the words "senior time scale" wherever they occur, the words "senior scale" shall be substituted;

(b) in sub-heading "Union territories and NEFA", the words "and NEFA" shall be omitted;

(c) in sub-heading "Union territories", as so amended,—

(1) under "Delhi Administration", after entry relating to "Commissioner of Sales Tax", the words "Housing Commissioner" shall be inserted;

(2) under "Government of Goa, Daman and Diu", the words "Chief Secretary to Government" shall be inserted at the top;

(v) in Schedule III-C,—

(a) for the existing title, the following title shall be substituted, namely:—

"Posts under the Central Government when held by members of the Service";

(b) under general entries,—

(1) against fourth item relating to the post of "Deputy Secretaries to the Government of India," in columns 2, 3 and 4, for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"Deputy Secretaries to the Govt. of India.	Senior Scale	300.";

(2) against fifth item relating to the post of "Under Secretaries to the Government of India", in column 2, 3 and 4, for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

r Secretaries to the Government of India.	Senior time scale or Junior scale.	200 subject to the condition that pay plus Special pay does not exceed Rs. 1,100.";

(c) under Home Affairs,—

(1) against entries relating to the post of "Superintendent of Census Operation in States", in columns 2, 3 and 4, for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"Superintendent of Census Operation in State.	Senior Scale.	300.";

(2) against entries relating to the post of "Deputy Superintendent of Census Operation in States", in columns 2, 3 and 4 for he existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

'Deputy Superintendent of Census Operation in State.	Junior Scale or Senior time Scale.	150 subject to the condition that pay plus Special pay does not exceed Rs. 1,400.";

(d) at the end of entries relating to the Ministries or Offices included in Schedule III-C, the following Note shall be added, namely:—

"Note:—Wherever a Special pay of Rs. 300 is indicated, pay in senior time scale plus Special pay shall not exceed Rs. 2,000 and pay in Selection Grade plus Special pay shall not exceed Rs. 2,250.".

[No. 1/211/71-AIS(II)-A.]

कार्मिक विभाग

नई दिल्ली, 8 जून, 1972

सा० का० नि० 793.—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और भी संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) ये नियम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नवम् संशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में

(i) अनुसूची III-क के शीर्षक में, "समय-मान वेतन" शब्दों के स्थान पर "वरिष्ठ मान-वेतन" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ii) उपशीर्षक "संघ राज्य क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण" में से "तथा उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण" शब्द हटा दिये जायेंगे;

(iii) यथा संशोधित उप शीर्षक "संघ राज्य क्षेत्र" के अन्तर्गत,—

(क) "दिल्ली प्रशासन" के अन्तर्गत "आवास आयुक्त" से संबंधित प्रविष्टि हटा दी जायेगी;

(ख) "गोआ, दमन तथा दीव सरकार" से संबधित सम्पूर्ण प्रविष्टि हटा दी जायेगी,

(iv) अनुसूची III-ख में,—

(क) शीर्षक तथा कंडिका (i) में, "वरिष्ठ समय-मान", शब्द जहां कहीं भी प्रयुक्त हुए हों, उनके स्थान पर "वारिष्ठ वेतन मान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप शीर्षक "संघ राज्य क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण" में से "तथा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण" शब्द हटा दिये जायेंगे;

(ग) यथा संशोधित उप शीर्षक "संघ राज्य क्षेत्र" में,—

(1) "दिल्ली प्रशासन" के अन्तर्गत "बिक्री कर आयुक्त" से संबधित प्रविष्टि के पश्चात् "आवास आयुक्त" शब्द जोडे जायेंगे,

(2) "गोआ, दमन तथा दीव सरकार" के अन्तर्गत सबसे ऊपर "सरकार के मुख्य सचिव" शब्द जोडे जायेंगे,

(v) अनुसूची III-ग में,—

(क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—
"केन्द्रीय सरकार के अधीन पद, जब उन पर इस सेवा के सदस्य नियुक्त हों;",

(ख) सामान्य प्रविष्टियों के अन्तर्गत :—

(1) "भारत सरकार के उप सचिवों" के पद से संबंधित चौथी मद के आगे कालम 2, 3 तथा 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"भारत सरकार के उप सचिव	वरिष्ठ समय वेतन-मान	300";

(2) "भारत सरकार के अवर सचिवों" के पद से संबंधित पांचवीं मद के आगे कालम 2, 3 तथा 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"भारत सरकार के अवर सचिव	वरिष्ठ समय वेतन-मान अथवा कनिष्ठ वेतन-मान	200, इस शर्त के अधीन कि विशेष वेतन सहित वेतन 1400 रु० से अधिक न हो";

(ग) गृह मंत्रालय के अन्तर्गत, —

(1) "राज्यों में जन गणना कार्य अधीक्षक" के पद से संबधित प्रविष्टियों के आगे कालम 2, 3 तथा 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"राज्य में जन-गणना कार्य अधीक्षक	वरिष्ठ वेतन-मान	300";

(2) "राज्यों में जनगणना कार्य उप-अधीक्षक" के पद से संबंधित प्रविष्टियों के आगे कालम 2, 3 तथा 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी,— अर्थात् :—

"राज्य में जन गणना कार्य उप-अधीक्षक	कनिष्ठ वेतन मान अथवा वरिष्ठ समयमान	150, इस शर्त के अधीन कि विशेष वेतन सहित वेतन 1400 रु० से अधिक न हो"

(घ) अनुसूची-III-ग में शामिल किये गये मंत्रालयों अथवा कार्यालयों से संबंधित प्रविष्टियों के अन्त में निम्नलिखित नोट जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"नोट :—जहां कहीं भी 300 रु० विशेष वेतन दर्शाया गया है वहां विशेष वेतन सहित वरिष्ठ समय मान में वेतन 2,000 रु० से अधिक नहीं होगा और विशेष वेतन सहित चयन ग्रेड में वेतन 2,250 रु० से अधिक नहीं होगा ।

[सं० 1/211/71-अ०भा०से० (II)-क]

G.S.R. 794.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954,—

(i) in Schedule III-A, in the title, for the words "time-scale pay", the words "senior scale pay" shall be substituted;

(ii) in the Schedule III-B, in the title, for the words "senior time scale" wherever they occur, the words "senior scale" shall be substituted;

(iii) in Schedule III-C,—

(a) for the existing title, the following title shall be substituted, namely:—

"Posts under the Central Government when held by members of the Service.";

(b) under "Intelligence Bureau",—

(1) against fifth item relating to the post of "Assistant Directors", in columns 2, 3 and 4, for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"Assistant Directors	Senior scale	300.";

(2) against eighth item relating to the post of "Technical Officers", in columns 2, 3 and 4, for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"Technical Officers.	Junior scale or Senior time scale.	150 provided that the posts shall not be tenable by officers where total remuneration exceeds Rs. 1,000 P.M."

(c) under "Central Bureau of Investigation",—

against fourth item relating to the post of "Assistant Director, C.B.I.", in columns 2, 3 and 4, for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"Assistant Director,	Senior scale	300.";

(d) at the end of entries relating to Ministries or Offices included in Schedule III-C, the following Note shall be added namely:—

'Note': wherever a special pay of Rs. 300 is indicated, pay in selection grade plus special pay shall not exceed Rs. 1600."

[No. 1/211/71-AIS(II)-B.]
B. NARASIMHAN, Under Secy.

सा० का० नि० 794.—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और भी संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सप्तम् संशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में

(i) अनुसूची III-क के, शीर्षक में, "समय-मान वेतन" शब्दों के स्थान पर "वरिष्ठ मान वेतन" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ii) अनुसूची III-ख में, शीर्षक में 'वरिष्ठ समय मान' शब्द जहां कहीं भी प्रयुक्त हुए हों उनके स्थान पर 'वरिष्ठ वेतन मान' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) अनुसूची III-ग में,

(क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"केन्द्रीय सरकार के अधीन पद, जब उन पर इस सेवा के सदस्य नियुक्त हों";

(ख) 'आसूचना ब्यूरो' के अन्तर्गत, —

(1) "सहायक निदेशकों" के पद से संबंधित पांचवी मद के आगे कालम 2, 3 तथा 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"सहायक निदेशक	वरिष्ठ वेतनमान	300.",

(2) तकनीकी अधिकारियों के पद से संबंधित आठवीं मद के आगे कालम 2, 3 तथा 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"तकनीकी अधिकारी	कनिष्ठ वेतनमान अथवा वरिष्ठ समय वेतनमान	150, बशर्ते कि ये पद उन अधिकारियों द्वारा धार्य नहीं होंगे जहां कुल परिश्रमिक 1000 रु० प्रति मास से अधिक हो" ;

(ग) 'केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो' के अन्तर्गत :—

"सहायक निदेशक 'अन्वेषण ब्यूरो' के पद से संबंधित चौथी मद के आगे कालम, 2, 3 तथा 4 में विद्यमान

प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"सहायक निदेशक	वरिष्ठ वेतन मान	300";

(घ) अनुसूची III ग में शामिल किये गये मंत्रालयों अथवा कार्यालयों से संबंधित प्रविष्टियों के अन्त में निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

नोट :— जहां कहीं भी 300 रु० विशेष वेतन दर्शाया गया हो, विशेष वेतन सहित प्रवरण ग्रेड का वेतन 1600 रु० से अधिक नहीं होगा ।

[सं० 1/211/71-अ० भा० से० (II)-ख]

बी० नरसिम्हन, अवर सचिव ।

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 5th June 1972

G.S.R. 795.—Whereas certain draft rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, was published as required by sub-section (1) of section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), at page 379 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th January, 1972, under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), No. G.S.R. 131, dated the 14th January, 1972, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the 15th March, 1972;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 5th February, 1972;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, namely:—

1. **Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Industrial Disputes (Central), (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, in sub-rule (2) of rule 1, the proviso shall be omitted.

[No. F. S. 65012/2/71-LRI.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 5 जून, 1972

सा० का० नि० 795.—यतः औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम 1957 में और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 38 का उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1), तारीख 29 जनवरी, 1972 के पृष्ठ 379 पर, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 131, तारीख 14 जनवरी, 1972 के अन्तर्गत प्रकाशित किये गए थे, जिसके द्वारा, एतद्द्वारा सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से 15 मार्च 1972 तक आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित किए गए थे :

और यतः उक्त राजपत्र 5 फरवरी 1972 को सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध करा दिया गया था ;

और यतः सर्वसाधारण से उक्त प्रारूप के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. औद्योगिक विवाद (केन्द्राय) नियम, 1957 में, नियम 1 के उपनियम (2) में परन्तुक लुप्त हो जाएगा ।

[सं० फा० एस० 65012/2/71-एल आर आई]

एस० एस० सहस्रनामन, अवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 5th June 1972

G.S.R. 796.—The following draft of certain regulations further to amend the Coal Mines Regulations, 1957, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 57 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), is published as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 15th October, 1972.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Coal Mines (Amendment) Regulations, 1972.

2. In sub-regulation (4) of regulation 157 of the Coal Mines Regulations, 1957, the words "or battery

as the case may be" occurring within the brackets shall be omitted.

[No S. 66012/2/72-MI.]

श्रम और रोजगार विभाग

नई दिल्ली, 5 जून, 1972

सा० का० नि० 796.—कोयला खान विनियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार खान अधिनियम 1952 (1952 का 35) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित, एतद्द्वारा सभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर 15 अक्तूबर, 1972 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में ऐसे विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. ये विनियम कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

2. कोयला खान विनियम 1957 के विनियम 157 के उप विनियम (4) में कोष्ठक में आने वाले "यथास्थिति बत्ती या बैटरी से भिन्न" शब्दों में से "यथास्थिति" और "या बैटरी" शब्द लुप्त कर दिए जाएं।

[सं० एस 66012/2/72 एम आई]

New Delhi, the 7th June 1972

G.S.R. 797.—The following draft regulations further to amend the Coal Mines Regulations, 1957, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 57 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), is published as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 15th October, 1972.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Coal Mines (Amendment) Regulations, 1972.

2. In regulation 28 of the Coal Mines Regulations, 1957, in sub-regulation (1), the words "unless he has obtained, within the preceding one year, a medical certificate of fitness certifying him fit to carry out the duties prescribed for him in the Act and in these regulations and orders made thereunder" shall be omitted.

[No. S. 66012/1/71-M.I.]

नई दिल्ली, 7 जून 1972

सा० का० नि० 797— ..... कोयला खान विनियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्न लिखित प्रारूप-विनियम, जिसे केन्द्रीय सरकार खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 57 धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, सभी ऐसे व्यक्तियों की, जिनका इनके द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य है, जानकारी के उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर तारीख 15 अक्तूबर, 1972 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों का नाम कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1972 होगा।

2. कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 28 में, उप-विनियम (i) में, "जब तक उसने पूर्ववर्तीय एक वर्ष के भीतर योग्यता का ऐसा चिकित्सीय प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो जो उस, अधिनियम में तथा तद्धीन बनाए गए विनियमों और आदेशों में उसके लिए विहित कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए योग्य प्रमाणित करे" शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे।

[संख्या एस-66012/1/71-एम-1]

New Delhi, the 13th June 1972

G.S.R. 798.—The following draft regulations further to amend the Metalliferious Mines Regulations, 1961, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 57 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), is published as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 15th October, 1972.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Metalliferious Mines (Amendment) Regulations, 1972.

2. In regulation 31 of the Metalliferious Mines Regulation 1961, in sub-regulation (1), the words "unless

he has obtained, within the preceding one year, a medical certificate of fitness certifying him fit to carry out the duties prescribed for him in the Act and in the regulations and orders made thereunder" shall be omitted.

[No. S-66012/1/71-MI.]

B. K. SAKSENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जून, 1972

सा० का० नि० 798.—धातूत्पादन खान विनियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप-विनियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, सभी ऐसे व्यक्तियों को, जिनका इसके द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य है, जानकारी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर तारीख 15 अक्तूबर, 1972 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों का नाम धातूत्पादन खान (संशोधन) विनियम, 1972 होगा ।

2. धातूत्पादन खान विनियम, 1961 के विनियम 31 में, उप-विनियम (1) में, "जब तक उसने पूर्ववर्ती एक वर्ष के भीतर योग्यता का ऐसा चिकित्सीय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो जो उसे, अधिनियम में तथा तद्धीन बनाए गए विनियमों और आदेशों में उसके लिए विहित कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए योग्य प्रमाणित करें" शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे ।

[सं० एस० 66012/1/71-एम-1]

बी० के० सक्सेना, अवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 3rd June 1972

G.S.R. 799.—Whereas certain draft rules further to amend the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949, were published as required by sub-section (1) of section 10 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947, (32 of 1947), at page 5518 of the Gazette of India Part II—Section 3-Sub-section (i) dated 25th December, 1971, under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. G.S.R. 1955, dated the 18th December, 1971, inviting objections or suggestions from all Persons likely to be affected thereby, till the 31st March, 1972;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 25th December, 1971;

And whereas objections or suggestions were not received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949, namely:—

1. These rules may be called the Coal Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Rules, 1972.

2. In sub-rule (2) of rule 1 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949, the following words occurring at the end shall be omitted, namely:—

"but excluding the State of Jammu and Kashmir".

[No. S. 66012/1/71-M. II.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 3 जून 1972

सा० का० नि० 799—यतः कोयला खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1949 को और संशोधित करने वाले कतिपय प्रारूप नियम, कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 10 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 25 दिसम्बर, 1971, में पृष्ठ 5518 पर भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० स०का० नि० 1955 तारीख 18 दिसम्बर 1971 के अन्तर्गत, उन सभी व्यक्तियों से, जिसका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है, 31 मार्च, 1972 तक आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे ;

और यतः उक्त राजपत्र, जनता को 25 दिसम्बर, 1971 को उपलब्ध कर दिया गया था ;

और यतः उक्त प्रारूप पर जनता से आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, कोयला खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1949 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. नियम कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

2. कोयला खान श्रम कल्याण निधि, 1949 के नियम 1 के उपनियम (2) में निम्नलिखित शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे, अर्थात् :-

"किन्तु जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ कर"

[सं० एस० 66012/1/71 एम०-11]

New Delhi, the 8th June 1972

G.S.R. 800.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mica Mines Welfare Fund Rules, 1948, namely:

1. The rules may be called the Mica Mines Labour Welfare Fund (2nd Amendment) Rules, 1972.

2. In the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules, 1948, for rule 24, the following rule shall be substituted namely:—

"24. *Schemes of expenditure*—(1) The sanction of the Central Government to the budget shall, if no specific mention is made to the contrary, be deemed to include sanction to expenditure on Welfare schemes conforming to the standard Schemes approved by the Central Government and included in the budget.

(2) The Vice-Chairman shall have power, subject to the provision in the sanctioned budget, to incur expenditure on administrative staff and welfare schemes:

Provided (i) that he shall have no power to sanction any scheme other than a scheme referred to in sub-rule (1) included in the budget if it involves expenditure exceeding Rs. 50,000 non-recurring or Rs. 5,000 recurring a year, and (ii) that any such new scheme within these limits shall require the approval of the Finance Sub-Committee before any expenditure on it is incurred."

[No. F. U-18017/1/71-M.III.]

New Delhi, the 14th June 1972

G.S.R. 801.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1960, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund (Recruitment to Class III and Class IV posts) Third Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule to the Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1960, against Serial No. 8, in column 11, after the existing entry, the following shall be inserted, namely:—

"10 per cent of the vacancies in the grade of Junior Clerks to be filled by direct recruitment, shall be reserved for being filled by Class IV employees borne on regular establishment, subject to the following conditions:—

(a) Selection shall be made through a departmental examination confined to such Class IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualification, namely Matriculation or equivalent.

(b) The maximum age for this examination shall be 45 years (50 years for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes).

(c) At least 5 years' service in Class IV shall be essential.

(d) The maximum number of vacancies filled by this method shall be limited to 10 per cent of the vacancies in the cadre of Junior Clerks occurring in a year; unfilled vacancies shall not be carried over."

[No. F. A-12018/10/71-MII.]

R. K. SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जुन 1972

सा० का० नि० 801.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान श्रम आवास और साधारण कल्याण निधि (वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों पर भर्ती) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम कोयला खान श्रमिक आवास और साधारण कल्याण निधि (वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों पर भर्ती) तृतीय संशोधन नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कोयला खान श्रम आवास और साधारण कल्याण निधि (वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों पर भर्ती) नियम, 1960 की अनुसूची में क्रम सं० 8 के सामने, स्तम्भ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"कनिष्ट लिपिकों के ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले 10 प्रतिशत रिक्त स्थान नियमित स्थापन में के वर्ग 4 कर्मचारियों द्वारा, निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, भरे जाने के लिए आरक्षित किए जाएंगे :—

(क) चयन एक विभागीय परीक्षा द्वारा किया जाएगा जो वर्ग 4 के ऐसे कर्मचारियों तक सीमित होगी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, अर्थात् मैट्रिक या समतुल्य, सम्बन्धी अपेक्षा को पूरा करते हैं ।

(ख) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष) होगी ।

(ग) वर्ग 4 में कम से कम 5 वर्ष की सेवा का होना आवश्यक होगा ।

(घ) इस पद्धति द्वारा भरे गये रिक्त स्थानों की अधिकतम संख्या कनिष्ठ लिपिकों के काडर में किसी एक वर्ष में होने वाले रिक्त स्थानों के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी ; बिना भरे गये स्थानों को आगे के लिए नहीं रखा जाएगा ।"

[सं० फा० ए०—12018/10/71—एम०II]

आर० के० श्रीवास्तव,
अवर सचिव ।

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 8th June 1972

G.S.R. 802.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5-D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board, with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules regulating the allotment of residential accommodation hired or owned by the Central Board for occupation by officers and others employed by it, namely:—

ALLOTMENT RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Employees' Provident Funds Central Board Employees (Allotment of Residences) Rules, 1972;

(2) They shall come into force at once.

2. **Application.**—These rules shall apply to the allotment of residential accommodation hired or owned by the Central Board for occupation by officers and other staff employed by it (hereinafter referred to as the employees).

3. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952);

(b) "allotment" means the grant of a licence to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules;

(c) "allotment year" means the year beginning on the 1st January or such other period as may be notified by the Central Commissioner;

(d) "Central Board" means the Board of Trustees constituted under section 5A of the Act;

(e) "Central Commissioner" means the Central Provident Fund Commissioner appointed under sub-section (1) of section 5D of the Act;

(f) "Chairman" means the Chairman of the Board of Trustees constituted under section 5A of the Act;

(g) "Deputy Commissioner" and "Regional Commissioner" means respectively the Deputy Provident Fund Commissioner and the Regional Provident Fund Commissioner appointed under sub-section (2) of section 5D of the Act;

(h) "eligible office" means an office of the Central Board, the employees of which are eligible for accommodation under these rules;

(i) "emoluments" means the emoluments as defined in rule 45C of the Fundamental Rules, as applicable from time to time to employees of the Central Government, but excluding compensatory allowance and the references to pay and payment from general revenues in the said rules shall be construed to mean pay and such payments from the Administration Account Nos. 4 and 2 of the Fund;

Provident that in the case of an employee who is under suspension, the emoluments drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension, or, if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the emoluments drawn by him immediately before that date, shall be taken to be his emoluments;

(j) "family" means the wife or the husband, as the case may be, and children, step-children, legaly adopted children, parents, brothers or sisters as are ordinarily residing with and are dependent on, the employee;

(k) "priority date" of an employee in relation to a type of residence to which he is eligible under rule 5 means the earliest date from which he has been continuously drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Board or on foreign service except for periods of leave;

Provided that in respect of a type II, type III or type IV residence, the date from which the officer has been continuously in service under the Central Board including the period of foreign service shall be his priority date for that type.

Provided further that where the priority date of two or more employees is the same, seniority among them shall be determined—

(i) by the amount of emoluments drawn by each such employee, the employee in receipt of higher emoluments taking precedence over the employee in receipt of lower emolument; and

(ii) where the emoluments are equal, by the length of service under the Central Board;

(l) "rent" means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules, as applicable from time to time to employees of the Central Government, in respect of a residence allotted under these rules;

(m) "residence" means a residence hired or owned by the Central Board;

(n) "sub-letting" includes sharing of accommodation by an allottee with another person with or without payment of rent by such other person, but does not include a casual guest;

Explanation.—Any sharing of accommodation by an allottee with close relations shall not be deemed to be sub-letting;

(o) "temporary transfer" means a transfer which involves an absence from the place of duty for a period not exceeding four months;

(p) "transfer" means a transfer from an eligible office to an ineligible office;

(q) "type" in relation to an employee means the type of residence to which he is eligible under rule 5.

4. Allotment to husband and wife; Eligibility in cases of employees who are married to each other.—(1) No employee shall be allotted a residence under these rules if the wife or the husband, as the case may be, of such employee has already been allotted a residence, unless such residence is surrendered;

Provided that this rule shall not apply where the husband and the wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(2) Where two employees in occupation of separate residences allotted under these rules marry each other, they shall, within one month of such marriage, surrender one of the residences.

(3) If a residence is not surrendered as required under sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower type or if the residences are of the same type, the allotment of such one of them as the Central Commissioner may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of the period specified in sub-rule (2).

(4) Where both the husband and the wife are employed under the Central Board the title of each of them to allotment of residence under these rules shall be considered independently.

5. **Classification of residences.**—Save as otherwise provided in these rules, an employee shall be eligible for allotment of a residence of the type shown in the table below:—

TABLE

Type of residence	Monthly emoluments of employees as on the first day of the allotment year in which the allotment is made
I	Less than Rs. 110/-
II	Less than Rs. 250/- but not less than Rs. 110/-
III	Less than Rs. 400/- but not less than Rs. 250/-
IV	Less thad Rs. 700/- but not less than Rs. 400/-
V	Less than Rs. 1300/- but not less than Rs. 700/-
VI	Less than Rs. 1600/- but not less than Rs. 1300/-
VII	Rs. 1600/- and above.

6. **Application for allotment.**—(1) (a) An employee who seeks allotment of a residence or the continuance of the allotment of a residence which has been allotted to him may, at any time, and shall, if so, directed apply to the Regional Commissioner in the case of employees of the Regional Offices and to the Central Commissioner in the case of employees of the Central Office for this purpose in such form and in such manner and by such date as may be specified by the Central Commissioner.

(b) The Regional Commissioner shall forward the applications received by him to the Central Commissioner for allotment of residences.

(2) All applications received otherwise than in pursuance of a direction issued under clause (a) of sub-rule (1) shall be considered for allotment in the succeeding month if such applications have been received before the twentieth day of a calendar month.

(3) Where an employee fails to make an application or refuses to accept the allotment of a residence made to him the House Rent Allowance admissible to him shall, unless waived by the Central Commissioner for reasons to be recorded in writing, be liable to be forfeited.

7. **Allotment of residences.**—(1) Save as otherwise provided in these rules, a residence as soon as it becomes available shall be allotted by the Central Commissioner to an applicant having the earliest priority date for that type of residence subject to the following conditions, namely:—

(i) The Central Commissioner shall not allot a residence of a type higher than that to which the applicant is eligible under rule 5.

(ii) The Central Commissioner shall not ordinarily allot an applicant or employee a residence of a type lower than that to which he is eligible under rule 5:

Provided in exceptional circumstances and where the availability position of the accommodation so warrants, the Central Commisioner may allot an applicant or employee a residing of a type lower than that to which he is eligible under rule 5. But such allotment shall be made only after offering all employees eligible to that type of accommodation and where such employees have refused to accept the offer of allotment;

Provided further that in cases of allotment under the first proviso above the recovery of rent from the employees shall be at the rate of 10 per cent of their emoluments or the standard rent calculated under the fundamental Rules, as applicable from the time to time to employees of the Central Government, or 10 per cent of the maximum emolument prescribed for the lower type of accommodation actually allotted whichever is the least:

Provided further that refusal to accept the allotment under the first proviso above shall constitute refusal within the meaning of sub-rule (3) of rule 6.

(iii) The Central Commissioner on request from an applicant for allotment of a lower type of residence may, on the basis of his priority date, allot to him a residence next below the type for which he is eligible under rule 5, if it is available.

(2) The Central Commissioner may cancel the existing allotment of an employee and allot to him an alternative residence of the same type or in emergent circumstances an alternative residence of the type next below the type of residence in occupation of the employee, if the residence in occupation of the officer is required to be taken.

(3) A vacant residence may, in addition to allotment to an employee under sub rule (1), be offered simultaneously to other eligible employees in order of their priority dates.

8. **Maintenance of separate pools for certain categories of officers and staff.**—(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the following pools shall be maintained, namely:—

(i) Pool of residence for Central Commissioner, Deputy Commissioners and Regional Commissioners.

(ii) Pool of residences for officers on deputation to the Central Board.

(iii) Pool of residences for 10 per cent of Permanent staff.

(iv) Pool of residences for some essential staff.

(2) The number and the type of residences to be placed in these pools shall be determined by the Central Commissioner from time to time

(3) *Inter se* seniority of the employees eligible for allotment of residences under this rule shall be determined in accordance with the dates of their appointment to the posts which entitle them for consideration of allotment of residences included in the pool.

9. **Out-turn allotments.** (1) Notwithstanding the provisions of rule 7, allotment of a residence may be made by the Central Commissioner on an out-of-turn basis to an employee on grounds of serious illness of such employee or of a member of his family, in consultation, if considered necessary, with the prescribed medical authority.

(2) The priority date for out-of-turn allotment shall be the date on which the application of the employee for out-of-turn allotment is received by the Central Commissioner.

10. **Non-acceptance of allotment or offer or failure to occupy the allotted residence after acceptance.**—(1) Without prejudice to the provisions of sub-rule (3) of rule 6 where an employee fails to accept the allotment of a residence within five days, or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days, from the date of receipt of the letter of allotment, he shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of the letter of allotment.

(2) If an employee occupying a lower type of residence is allotted or offered a residence of the type for which he is eligible under rule 5 or for which he has applied under clause (iii) of sub-rule (1) or rule 7, he may, on refusal of the said allotment or offer of allotment, be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions, namely:—

(a) that such an employee shall not be eligible for another allotment for a period of six months from the date of the letter of allotment for the higher class of accommodation;

(b) subject to the limits prescribed in clause (c), while retaining the existing residence the employee shall be charged the same rent which he would have had to pay under Fundamental Rule 45-A, as applicable from time to time to employees of the Central Government, in respect of the residence so allotted or offered or the rent payable in respect of the residence already in his occupation, whichever is higher;

(c) (i) the charging of rent at the higher rate, envisaged in clause (b) shall be restricted to a period of one year from the date of receipt of the letter of allotment of the higher type of residence or upto the date on which the employee gets another allotment of a residence of a type higher that the one already in his occupation if such an allotment is made within the aforesaid period of one year;

(ii) Where the employee again refuses the subsequent allotment, the period of one year shall commence afresh from the date of receipt of the subsequent letter of allotment.

11. **Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention.**—(1) An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the employee and shall continue in force until,

(a) the expiry of the concessional period permissible under sub-rule (2), after the employee ceases to be on duty in an eligible office, or

(b) it is cancelled by the Central Commissioner or is deemed to have been cancelled under any of the provisions of these rules, or

(c) it is surrendered by the employee, or

(d) the employee ceases to occupy the residence.

(2) A residence allotted to an employee may, subject to sub-rule (3), be retained on the happening of any of the events specified in column 1 of the Table below for the period specified in the corresponding entry in column 2 thereof, provided that the residence is required for the bona-fide use of the employee or members of his family.

TABLE

(1)	(2)
Events	Permissible period for retention of the residence
(i) Resignation, dismissal or removal from service, termination of service or unauthorised absence without permission.	1 month
(ii) Retirement or terminal leave.	2 months.
(iii) Death of the allottee	4 months.

TABLE

(iv) Transfer to a place outside the station of allotment of residence.	2 months.
(v) On proceeding on foreign service in India.	2 months.
(vi) Temporary transfer on India or deputation to a place outside India.	4 months.
(vii) Leave (other than leave preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave or study leave.)	For the period of leave but not exceeding 4 months.
(viii) Leave preparatory to retirement or refused leave granted under Fundamental Rule, 86.	For the full period of leave on full average pay subject to a maximum of 4 months inclusive of the period permissible in the case of retirement.
(ix) Study leave or deputation outside India.	For the period of leave but not exceeding 6 months.
eave on medical grounds	For the full period of leave.
(xi) On proceeding on training	For the full period to training.

Explanation—The period permissible on transfer mentioned against items (iv), (v) and (vi) shall count from the date of relinquishing charge plus the period of leave, if any, sanctioned to, and availed of by, the employee before joining duty at the new office

(3) Where a residence is retained under sub-rule (2), the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional period unless immediately on the expiry thereof the employee resumes duty in an eligible office.

(4) An employee who has retained the residence by virtue of the concession under item (i) or item (ii) of the Table below sub-rule (2) shall, on re-employment in an eligible office within the period specified against the said items in the said Table, be entitled to retain that residence and shall also be eligible for any further allotment of residence

Provided that if the emoluments of the employee on such re-employment do not entitled him to the type of residence occupied by him, he shall be allowed a residence of a lower type on the occurence of a vacancy.

12. **Provisions relating to rent** (1) Where an allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for rent shall commence from the date of occupation or the eight day from the date of receipt of the letter or allotment, whichever is earlier.

(2) An employee who, after acceptance, fails to take possession of that accommodation within eight days from the date of receipt of the letter of allotment, shall be charged rent from such date up to a period of one month or up to the date or reallotment of that particular accommodation whichever is earlier

(3) Where an employee, who is in occupation of a residence, is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence.

Provided that the employee may retain the former residence, without payment of rent, for that day and the subsequent day for shifting

13. **Personal liability of the employee for payment of rent till the residence is vacated and furnishing of surety by temporary employees.**—(1) The employee to whom a residence has been allotted under these rules shall be personally liable for the payment of rent thereof and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein by the Central Board during the period for which the residence has been and remains allotted to him, or where the allotment has been cancelled under any of the provisions in these rules until the residence along with the outhouses appurtenant thereto have been vacated and full vacant possession thereof has been restored to the Central Commissioner.

(2) Where the employee to whom a residence has been allotted is not a permanent employee of the Central Board, he shall furnish a surety bond, in he form that may be prescribed in this benalf by the Central Commissioner, from a permanent employee of the Central Board for the due payment of rent and other charges due from him in respect of such residence, services or any other residence provided in lieu

(3) Where the surety ceases to be in the service of the Central Board or becomes insolvent or withdraws his guarantee or ceases to be available for any other reason, the employee shall furnish a fresh bond executed by another permanent employee of the Central Board as a surety failing which the allotment of the residence to him shall, unless otherwise decided by the Central Commissioner, be deemed to have been cancelled with effect from the date of occurrance of any of the events aforesaid.

(4) An employee shall also render himself liable to disciplinary action and to such punishment as may be decided upon by the Central Commissioner in the case of any breach of this rule

14 **Surrender of an allotment and period of notice.**—(1) An employee may, at any time, surrender an allotment by giving intimation in that behalf so as to reach the Central Commissioner at least ten days before the date of vacation of the residence

Provided that the Central Commissioner may accept a notice for a shorter period.

(2) The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the letter is received by the Central Commissioner or the date specified in the letter, whichever is later

(3) Where an employee fails to give due notice, he shall be responsible for payment of rent for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of ten days.

15 Change of residence (1) An employee to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change of residence within the same type

Provided that an employee shall not be allowed more than one change in respect of one type of resndence

(2) Changes shall be offered in the order of receipt of applications for the same in the office of the Central Codmmissioner.

(3) If an employee fails to accept a change of residence offered to him within five days of the receipt of such offer for allotment, he shall not be considered again for a change of allotment of that type.

(4) An employee who, after accepting the change of residence, fails to take possession of the same, shall be charged rent for such residence in accordance with the provisions contained in sub-rules (1) and (2) of rule

12, in addition to the normal rent under rule 45-A of the Fundamental Rules, as applicable from time to time to employees of the Central Government, for the residence already in his posession, the allotment of which shall continue to subsist.

16. **Change of residence in the event of death of a member of the family.**—An employee may be allowed a change of resndence on the death of any member of his family if he applies for a change within three months of such occurrence, provided that the change shall be given in the same type of residence as already allotted to the employee.

17. **Mutual exchange of residences.** Employees to whom residences of the same type have been allotted under these rules may apply for permission to mutually exchange their residences.

(2) Permission for mutual exchange may be granted if both the employees are reasonably expected to be on duty under the Central Board and to reside in their mutually exchanged residences for at least six months from the date of approval of such exchange.

18. **Maintenance of residence.**—(1) The employee to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Central Commissioner.

(2) No tree, shrubs or plants shall be grown contrary to the instructions issued by the Central Commissioner nor shall any existing tree or shrub be cut or lopped off in any garden, courtyard or compound attached to the residence save with the prior permission in writing of the Central Commissioner.

(3) Trees, plantation or vegetation grown in contravention of this rule may be caused to be removed by the Central Commissioner at the risk and cost of the employee concerned.

19. **Subleting and sharing of residences.**—(1) No employee shall share the residence allotted to him or any of the out-houses, garages and stables appurtenant thereto except with the employees of the Central Board eligible for allotment of residences under these rules.

(2) The servant's quarters, out-houses, garages and stables shall be used only for bona-fide purposes, including residence of the servants of the allottee, or for such other purposes as may be permitted by the Central Commissioner.

(3) No employee shall sublet the whole of his residence:

Provided that an employee proceeding on leave may accommodate in the residence any other employee eligible for allotment of accommodation under these rules, as a caretaker, for a period not exceeding six months with the prior permission of the Central Commissioner.

(4) Any employee who shares or sublets his residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any rent payable in respect of the residence and for any damage caused to the residence or its precincts or grounds or services provided therein by the Central Commissioner beyond fair wear and tear.

20 **Consequences of breach of rules and conditions.**—(1) Where an employee to whom a residence has been allotted unauthorisedly sublets the residence or charges rent from the sharer at a rate which the Central Commissioner considers excessive, or erects any unauthorised structure in any part of the residence, or uses the residence or any portion thereof for any purpose other than that for which it is meant, or tampers with the electric or water connection or commits any other breach of the rules, or of the terms and conditions of the allotment, or uses the residence or premises or permits or suffers the residence or premises to be used for any purpose which the Central Commissioner considers to be improper, or conducts himself in a manner which in his opinion is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his neighbours, or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement, with a view to securing the allotment, the Central Commissioner may cancel the allotment of the residence.

Explanation.—In this clause, the expression "employee" includes, unless the context otherwise requires, a member of his family and any person claiming through the employee.

(2) Where an employee has in any application for allotment or statement relating thereto suppressed any material fact and obtained an allotment, the Central Commissioner may cancel the allotment with effect from the date he became ineligible for allotment of the accommodation.

(3)(i) Where action to cancel the allotment is taken on account of unauthorised subletting of the premises by the allottee, a period of sixty days shall be allowed to the allottee and any other person residing with him therein to vacate the premises.

(ii) The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the order for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.

(4) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudical to the maintenance of harmonious relations with neighbours, the employee may, at the discretion of the Central Commissioner, be allotted another residence in the same type at any other place.

(5) The Central Commissioner shall be competent to take all or any of the actions under clauses (1) to (4) of this rule and also declare the employee, who commits a breach of these rules and instructions issued to him; to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding three years.

21. **Overstayal in residence after cancellation of allotment**—Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any of the provisions of these rules, the residence remains or has remained in occupation of the employee to whom it was allotted or of any person claiming through him, such employee shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges, equal to the market rent as may be determined by the Central Commissioner from time to time:

Provided that an employee, in special cases, may be allowed by the Central Commissioner to retain a residence on payment of twice the standard rent under rule 45-A of the Fundamental Rules, as applicable from time to time to employees of the Central Government or twice the pooled standard rent under that Rule whichever is higher, for a period not exceeding six months.

22. **Continuance of allotments made prior to the issue of these rules.**—Any valid allotment of residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the employee to whom it has been made is not entitled to a residence of that type under rule 5 and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and that employee accordingly.

23. **Interpretation.**—If any question arises as to the interpretation of these rules, the same shall be decided by the Central Commissioner.

24. **Power to relax.**—The Central Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, relax all or any of the provisions of these rules in the case of any employee or residence or class of employees or type of residences.

25. **Delegation of powers.**—The Central Commissioner may delegate any or all of the powers conferred on him by these rules to any officer under his control subject to such conditions as he may deem fit to impose.

26. In respect of matters for which no provision or insufficient provision has been made in these rules, the rules or orders applicable from time to time to the corresponding categories of Central Government servants shall apply.

SCHEDULE 'A'

EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS ORGANISATION

Office of the————————

Form of application for allotment of residence for the year————————.

1. (a) Name Shri/Shrimati/Kumari ————————
(in block letters)

(b) Present designation————————

(c) Particulars of permanent post held————————

2(a) Emoluments as on the 1st of January, 19——

Pay	Special Pay	Dearness Pay	Deputation (Duty) allowance	Pension in addition to pay if any	Total

(b) Date since when the emoluments in (a) above are being drawn————————

3. *Type to which entitled and priority date therefor

Type of accommodation	Priority date
Appropriate type————————	
Next below type————————	

4. Particulars of the residence, if any, allotted:

(a) Does the applicant stand debarred from allotment of residence?

(b) If the reply to (a) above is in the affirmative indicate the details thereof.

(i) Period

(ii) Letter No. and date.

6. Is the Officer entitled to rent free accommodation? Yes/No.

7. (a) Whether the applicant, hiswife/her husband or dependent children own a house at the Station of duty? If so, give particulars.

House No. and Street	Relationship with the owner and extent of ownership.

(b) If already declared eligible, give No. and date of the letter.

Letter No. and date.

8. Particulars of surety in case of officers not holding a permanent post.

1. Name.
2. Permanent post held.
3. Office of which attached.
4. Does the surety subsist.

Certified that I have read all rules governing the allotment of residences and declare that the particulars given by me above are correct and that the allotment to be made to me or already made shall be subject to these rules and subsequent amendments, if any, thereto.

Signature

Office to which attached

Date———————

FOR USE IN OFFICE

Particulars of residence allotted————————

Dated initials of the clerk.————————

Dated initials of the Office Superintendent/Head Clerk————————

Dated initials of the Central Commissioner————————

Note:—@Pension includes the portion of the pension equivalent to death-cum-retirement gratuity and the portion of pension commuted, if any.

*Fill "Next Below" particulars only if accommodation in "Next Below" type is desired.

Pay Range Rs.	*Type*
1600 and above	VII
1300—1599	VI
700 1299	V
400—699	IV
250—399	III
110—249	II
Below 110	I

SCHEDULE 'B'

SURETY BOND

I, Shri ————————son of———————— at present employed as————————in the———————— hereby stand surety (which expression shall include my heirs, executors and administrators) to the Chairman of the Central Board of Trustees for payment by Shri————————at present employe as————————, of rent and other due in respect of residence now allotted to him by the Central Commissioner as also for any residence that may be allotted to him from time to time by the Central Commissioner.

I, the surety, hereby undertake to indemnify the Central Commissioner against all loss and damage that may be sustained by or caused to the Central Commissioner by reason of allotment of residence to the said————until delivery of vacant possession of the same is made to the Central Commissioner. I, the surety, hereby further undertake to pay to the Central Commissioner forthwith on demand by the Central Commissioner and without any demur all such sums as may be due to the Central Commissioner as aforesaid and I hereby agree that the Central Commissioner shall be at liberty (and is hereby irrevocably authorised to do so) to recover the said sums from the salary payable to me and the decision of the Central Commissioner as to the amount so to be recovered shall be final and bindin on me.

The obligation undertaken by me shall not be discharged or in any way affected by any extention of time or any other indulgence granted by the Central Commissioner to the said Shri (Name of allottee)———— or by any other matter or thing whatsoever which unde the law relating to sureties would but for this provision have the effect of so releasing me from my such liability. This guarantee shall be revocable at any time

discharged by my death so long as the said Shri (Name of allottee——————————continues to be in occupation of any such residence, servants' quarter, and/or garage.

The Central Board has agreed to bear the stamp duty, if any, payable on this document.

Signed and delivered by the said————————
at————, the day of——————19

Signature,
Address and Occupation of witness

Signature of Surety)
Designation
Office to which attached.

Certified that the above surety is a permanent employee of this Office/Organisation.

Signature of the Head of the Office in which the Surety is employed.

Accepted.
For and on behalf of the
Board of Trustees.
"Bahuguna"

[No. 41(61)/65-PF.I.]
DALJIT SINGH, Under Secy.

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 8 जून 1972

सा० का० नि० 802.—केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5-घ की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा अधिभोग के लिए इसके द्वारा किराये पर लिया गया इसके स्वामित्वाधीन निवास स्थान के आबंटन को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाता है, अर्थात् —

आबंटन नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम कर्मचारी भविष्य निधि, केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी (निवास स्थानों का आबंटन) नियम 1971 होगा ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** :—ये नियम केंद्रीय बोर्ड द्वारा नियोजित अधिकारियों और अन्य कर्मचारी वृन्द (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कर्मचारी कहा गया है) के अभिभोग के लिए उसके द्वारा किराये पर लिये गये उसके स्वामित्वाधीन निवास स्थान को लागू होंगें ।

3. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "अधिनियम" से कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) अभिप्रेत है ;

(ख) "आबंटन" से इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार निवास स्थान का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञप्ति का अनुदान अभिप्रेत है।

(ग) "आबंटन वर्ष" से प्रथम जनवरी को आरम्भ होने वाला वर्ष या ऐसी अन्य कालावधि अभिप्रेत है जो केन्द्रीय आयुक्त द्वारा अभिसूचित की जाए।

(घ) "केन्द्रीय बोर्ड" से अधिनयम की धारा 5-क के अधीन गठित न्यासियों का बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "केन्द्रीय आयुक्त" से अधिनियम की धारा 5-घ की उप धारा (1) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अभिप्रेत है।

(च) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 5-क द्वारा गठित न्यासियों के बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(छ) "उपायुक्त" और "प्रादेशिक आयुक्त" से अधिनियम की धारा 5(घ) की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त क्रमशः भविष्य निधि उपायुक्त और प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अभिप्रेत हैं।

(ज) "पात्र कार्यालय" से केन्द्रीय बोर्ड का वह कार्यालय अभिप्रेत है जिसके कर्मचारी इन नियमों के अधीन वास-सुविधा के पात्र हैं।

(झ) "उपलब्धियां" से मूल नियमों के नियम 45-ग में यथा परिभाषित, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर लागू उपलब्धियां अभिप्रेत हैं किन्तु इसके अन्तर्गत प्रतिकरात्मक भत्ता नहीं है और उक्त नियम में वेतन और सदाय के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन निधि के प्रशासन लेखा संख्या 4 और 2 में से वेतन और ऐसे सन्दाय किया जाएगा परन्तु उस कर्मचारी की दशा में जो निलम्बनाधीन हो, जिस वर्ष में उसे निलम्बित किया गया हो उस आबंटन वर्ष के प्रथम दिन जो उपलब्धियां उसे मिलती हो या यदि आबंटम वर्ष के प्रथम दिन उसे निलम्बित किया गया हो, तो उसकी उपलब्धियां वें समझी जाएंगी जो वह उस तारीख से तुरन्त पूर्व ले रहा हो ;

(ञ) "कुटुम्ब" से यथास्थिति एसी पत्नी या पति तथा सन्तान, सोतेली सन्तान, वैध रूप से गृहीत सन्तान, माता पिता, भाई या बहनें अभिप्रेत हैं जो साधारणतः कर्मचारी के साथ निवास करते हैं और उस पर आश्रित हैं ;

(ट) किसी कर्मचारी के निवास स्थान के उस टाइप के सम्बन्ध में जिसके लिए वह नियम 5 के अधीन पात्र है "पूर्विकता" से वह पूर्वतम तारीख अभिप्रेत है जिससे वह केन्द्रीय बोर्ड के अधीन पद पर या अन्यत्र सेवा पर किसी विशिष्ट टाइप या उच्चतर टाइप से सुसंगत उपलब्धियां छुट्टी की अवधि के सिवाय निरन्तर लेता रहा है ;

परन्तु टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4 निवास स्थान के बारे में वह तारीख, जिसमें अधिकारी केन्द्रीय बोर्ड के अधीन निरन्तर सेवा में चला आ रहा हो और जिसके अन्तर्गत अन्यत्र सेवा की अवधि भी आती है, उस टाइप के लिए उसकी पूर्विकता तारीख होगी :

परन्तु जहां दो या दो से अधिक कर्मचारियों की पूर्विकता तारीख एक ही हो वहां उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निर्धारित की जाएगी —

(i) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों की रकम द्वारा, अधिक उपलब्धियां पाने वाले कर्मचारी को कम उपलब्धियां पाने वाले कर्मचारी पर अग्रता देते हुए, और

(ii) जहां उपलब्धियां बराबर हों, वहां केन्द्रीय बोर्ड के अधीन सेवा की दीर्घता द्वारा ;

(ठ) "भाटक" से इन नियमों के अधीन आबंटित निवास स्थान के बारे में, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू मूल नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रतिमास सन्देय धन राशि अभिप्रेत है।

(ड) "निवास स्थान" से केन्द्री. सरकार द्वारा किराये पर लिया गया या उसके स्वामित्वाधीन निवास स्थान अभिप्रेत है;

(ढ) "उप पट्टे पर देना" के अन्तर्गत आबंटिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ उस अन्य व्यक्ति द्वारा किराये के संदाय के साथ या उसके बिना बास सुविधा का अंश भोग किया जाना आता है किन्तु उसमें आकस्मिक अतिथि नहीं आता ।

स्पष्टीकरण :—किसी आबंटिती द्वारा निकट नातेदारों के साथ बास सुविधा में किसी भी अंशभोग को उप पट्टे पर देना नहीं समझा जाएगा।

(ण) "अस्थायी स्थानान्तरण" से वह स्थानान्तरण अभिप्रेत है जिसमें कर्त्तव्य के स्थान से 4 मास से अनधिक अवधि के लिये अनुपस्थिति अन्तर्वलित है ;

(त) "स्थानान्तरण" से किसी पात्र कार्यालय से अपात्र-कार्यालय को स्थानान्तरण अभिप्रेत है ;

(थ) किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में "टाइप" से निवास स्थान की वह टाइप अभिप्रेत है जिसके लिए वह नियम 5 के अधीन पात्र है ।

4 **पति और पत्नी को आबंटन**; उन अधिकारियों की दशा में पात्रता जो एक दूसरे से विवाहित है :—

(1) यदि किसी कर्मचारी की यथास्थिति, पत्नी या पति को कोई निवास स्थान पहले ही आबंटित किया जा चुका है, तो जब तक कि ऐसा निवास-स्थान अभ्यर्पित न कर दिया जाए किसी भी ऐसे कर्मचारी को इन नियमों के अधीन निवास स्थान आबंटित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह नियम वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक-पृथक निवास कर रहे हैं ।

(2) यहां इन नियमों के अधीन आबंटित पृथक-पृथक निवासस्थानों को अधिभोग करने वाले दो कर्मचारी एक दूसरे से विवाह कर लें तो वे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास-स्थानों में से एक का अभ्यर्पण करेंगे ।

(3) जैसा कि उप-नियम (2) में अपेक्षित है, यदि कोई निवास स्थान अभ्यर्पित नहीं किया जाता है, तो उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, यह समझा जाएगा कि निम्नतर टाइप के निवास स्थान का आबंटन रद्द कर दिया गया है या यदि निवास स्थान एक ही टाइप के हैं तो ऐसी अवधि के अवसान पर यह समझा जाएगा कि उनमें से उस एक का जिसे केन्द्रीय आयुक्त विनिश्चित करें, आबंटन रद्द कर दिया गया है ।

(4) जहां पति और पत्नी दोनों केन्द्रीय बोर्ड के अधीन नियोजित हों, वहां इन नियमों के अधीन निवास-स्थान के आबंटन के लिए उन दोनों में से हर एक के हक पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया जाएगा ।

(5) निवास-स्थानों का वर्गीकरण—इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कर्मचारी नीचे दी गई सारिणी में दर्शित टाइप के निवास-स्थान का पात्र होगा :—

सारणी

निवास स्थान के टाइप	अधिकारी की मासिक उपलब्धियां जो उस आबंटन वर्ष, जिसमें आबंटन किया जाता है, उसके प्रथम दिन को थी
1	110 रुपये से कम
2	250 रुपये से कम किन्तु 110 रुपये से कम नहीं
3	400 रुपये से कम किन्तु 250 से कम नहीं
4	700 रुपये से कम किन्तु 400 रुपये से कम नहीं
5	1300 रुपये से कम किन्तु 700 रुपये से कम नहीं
6	1600 रुपये से कम किन्तु 1300 रुपये से कम नहीं
7	1600 रुपये और इससे अधिक

6. **आबंटन के लिए आवेदन** (1) (क) ऐसा कर्मचारी, जो निवास स्थान का आबंटन चाहता है या जो उसे आबंटित निवास-स्थान को जारी रखना चाहता है, वह इस प्रयोजन के लिए किसी भी समय ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसी तारीख तक जो

केन्द्रीय आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए प्रादेशिक कार्यालयों के कर्मचारियों की दशा में प्रादेशिक आयुक्त को और केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों की दशा में केन्द्रीय आयुक्त को आवेदन कर सकेगा तथा उस दशा में यह आवेदन भेजेगा जब उससे ऐसा करने को कहा जाए।

(ख) प्रादेशिक आयुक्त प्राप्त आवेदनों को निवास स्थानों के आबटन के लिए केन्द्रीय आयुक्त को अग्रेषित करेगा।

(2) खण्ड (1) के अधीन जारी किये गए निदेशों के अनुसरण में प्राप्त आवेदनों से अन्यथा आवेदन यदि कैलेण्डर मास के बीसवें दिन से पूर्व प्राप्त हुए है तो उन पर उत्तरवर्ती मास में आबंटन के लिए विचार किया जाएगा।

(3) जहां कोई कर्मचारी आवेदन करने में असफल रहे या जिस निवासस्थान का आबंटन उसे किया गया हो, उसे स्वीकार करने से इन्कार करे तो उसे अनुज्ञेय मकान किराया भत्ता जब तक कि केन्द्रीय आयुक्त ने उसके लिए जो कारण है, उन्हे लिपिबद्ध करके अधित्यक्त न कर दिया हो समपहृत किया जा सकेगा।

7. **निवास स्थानों का आबंटन**—(1) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, निवास-स्थान रिक्त होने ही केन्द्रीय आयुक्त द्वारा ऐसे आवेदक को, जो निवास-स्थान के उस टाइप के लिए पूर्वतम पूर्विकता तारीख रखता है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए आबंटित किया जाएगा :—

(i) केन्द्रीय आयुक्त उस टाइप से उच्चतर टाइप के निवास स्थान का आबंटन नही करेगा जिसका आवेदक नियम 5 के अधीन पात्र है

(ii) केन्द्रीय आयुक्त सामान्यतः किसी आवेदक को या कर्मचारी को उस टाइप से निम्नतर टाइप का निवास स्थान आबंटित नही करेगा जिसका वह नियम 5 के अधीन पात्र है,

परन्तु असाधारण परिस्थितियो मे और जहां उपलब्ध आवास की स्थिति से ऐसा वांछनीय हो केन्द्रीय अयुक्त किसी आवेदक या कर्मचारी को उस टाइप से निम्नतर ; जिसका वह नियम 5 के अधीन पात्र है निवास स्थान आबंटित कर सकेगा। लेकिन ऐसा आबंटन उस टाइप के निवास स्थान के पात्र सभी कर्मचारियों को प्रख्यापित किए जाने के और तथी जब कि ऐसे कर्मचारियों ने आबंटन की प्रस्थापना को स्वीकार न किया हो, किया जा सकेगा ;

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त प्रथम परन्तुक के अधीन आबंटन किए जाने के मामले में कर्मचारी से भाटक की वसूली उनकी परिलब्धियों की दस प्रतिशत की दर पर या मूल नियम, जैसा कि समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हों, के अधीन परिकलित मानक भाटक या वास्तव में आबंटित निम्नतर टाइप के निवास-स्थान के लिए विहित अधिकतम परिलब्धियों के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर पर की जाएगी ;

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त प्रथम परन्तुक के अधीन आबंटन को मानने से इन्कार करना नियम 6 के उप-नियम 3 के अर्थ में इन्कार माना जाएगा।

(iii) केन्द्रीय आयुक्त निम्नतर टाइप के निवास-स्थान के आबंटन के लिए किसी आवेदक की प्रार्थना पर उसे उसकी पूर्विकता तारीख के आधार पर ऐसे टाइप से निचले टाइप का निवास-स्थान आबंटित कर सकेगा जिसका वह यदि ऐसा उपलब्ध होता है तो नियम 5 के अधीन पात्र है।

(2) यदि अधिकारी के अधिभोग मे का निवास-स्थान लिया जाना अपेक्षित हो तो केन्द्रीय आयुक्त कर्मचारी के विद्यमान आबंटन को रद्द कर सकेगा और उसे उसी टाइप का आनुकल्पिक निवास-स्थान या आपातिक परिस्थितियों में कर्मचारी के अधिभोग के निवास-स्थान के टाइप के निचले टाइप का आनुकल्पिक निवास-स्थान आबंटित कर सकेगा।

(3) रिक्त निवास-स्थान, उप-नियम (1) के अधीन किसी कर्मचारी को आबंटन के अतिरिक्त, साथ ही साथ अन्य पात्र कर्मचारियों को उनकी पूर्विकता तारीखों के क्रम में प्रस्तावित किया जा सकेगा।

8 **अधिकारियों और कर्मचारी वृन्द के विशेष प्रवर्गों के लिए पूलक पूल बनाए रखना** : (1) इन नियमो मे किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित पूल बनाए रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय आयुक्त, उपायुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों के लिए निवास-स्थानों का पूल

(ii) केन्द्रीय बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर के अधिकारियों के लिए निवास-स्थानों का पूल

(iii) स्थायी कर्मचारी वृन्द के 10 प्रतिशत के लिए निवास-स्थानों का पूल

(iv) कुछ आवश्यक कर्मचारी वृन्द के लिए निवास-स्थान का पूल

(2) इन पूलों में रखे जाने वाले निवास-स्थान की संख्या और टाइप का अवधारण केन्द्रीय आयुक्त द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

(3) इस नियम के अधीन निवास-स्थानों आबंटन के लिए पात्र कर्मचारियो की परस्पर ज्येष्ठता उनकी उन पदों पर की नियुक्ति की तारीखों के अनुसार अवधारित की जाएगी उन्हे पूल में सम्मिलित किए गए निवास स्थानों के आबंटन के लिए विचारण का हकदार बनाते है।

9. **पारि बाहर आबंटन**—(1) नियम 7 के उपबंधों के होते हुए भी केन्द्रीय आयुक्त द्वारा किसी निवास स्थान का आबंटन किसी कर्मचारी को पारी बाहर तौर पर ऐसे कर्मचारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की गम्भीर बीमारी के आधार पर,

यदि आवश्यक समझा जाय तो विहित चिकित्सा के परामर्श से, किया जा सकेगा ।

(2) पारी बाहर आबंटन के लिए पूर्विकता तारीख वह होगी जिसको केन्द्रीय आयुक्त पारी बाहर आबंटन के लिए कर्मचारी का आवेदन प्राप्त करता है ।

10. **आबंटन या प्रस्थापना का अप्रतिग्रहण या आबंटित निवास स्थान का प्रतिग्रहण के पश्चात् अधिभोग लेने में असफलता.**—(1) नियम 6 के उपनियम (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहाँ कोई कर्मचारी आबंटन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर किसी निवास स्थान का आबंटन प्रतिगृहीत करने में असफल रहता है, या प्रतिग्रहण के पश्चात् आठ दिन के भीतर उस निवास-स्थान का कब्जा लेने में असफल रहता है, वहाँ वह उस आबंटन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक दूसरे आबंटन का पात्र नहीं होगा ।

(2) यदि कोई कर्मचारी निम्नतर टाइप के निवासस्थान का अधिभोग कर रहा है और उसे ऐसे टाइप की निवास-स्थान आबंटित या प्रस्थापित किया जाता है जिसके लिए वह नियम 5 के अधीनपात्र है या जिसके लिए नियम 7 के उप नियम (1) के खण्ड (iii) के अधीन आवेदन किया है, तो वह उक्त आबटन या आबंटन के प्रस्ताव से इन्कार करने पर उसे पूर्वतन आबटित निवास-स्थान में रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) कि ऐसा कर्मचारी, उच्चतर वर्ग की वास सुविधा के लिए आबंटन पत्र की तारीख से छह मास की अवधी तक दूसरे आबंटन का पात्र नहीं होगा ;

(ख) खण्ड (ग) में विहित पारिसीमाओं के अधीन रहते हुए, विद्यमान निवास-स्थान रखे रहने के दौरान कर्मचारी वही भाटक, जो मूल नियम 45-क जैसा की वह समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू हो, के अधीन इस प्रकार आबंटित या प्रस्थापित निवास-स्थान के बारें में संदत्त करना पड़ता अथवा वह भाटक, जो उस निवास स्थान के बारे में देय है जो पहले ही उसके अधिभोग में है, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, प्रभारित किया जाएगा ।

(ग) (i) खण्ड (ख) में परिकल्पित उच्चतर दर पर भाटक लेना उच्चतर टाइप के निवास-स्थान के आबंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक या उस तारीख तक सीमित होगा जिसको कर्मचारी ऐसे किसी अन्य निवास-स्थान का आबंटन प्राप्त करले जो उसके पहले ही से अधिभोग वाले निवास स्थान से उच्चतर टाइप का है परन्तु यह तब जब ऐसा आबंटन उक्त एक वर्ष की अवधि के भीतर हो ।

(ii) जहाँ कर्मचारी ने पश्चात्वर्ती आवेदन से पुनः इन्कार कर दिया हो वहाँ एक वर्ष की अवधि पश्चात्वर्ती आबंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से पुनः प्रारम्भ होगी ।

11. **वह अवधि जिसके लिए आबंटन अस्तित्व में रहता है और आगे रखे रहने के लिए रियायती अवधि.**—(1) आबंटन उस तारीख से प्रभावशील होगा जिससे वह कर्मचारी द्वारा प्रतिगृहीत किया जाता है और तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि

(क) कर्मचारी के पात्र कार्यालय में कर्तव्यारूढ़ न रहने के पश्चात् उप-नियम (2) के अधीन अनुज्ञेय रियायती अवधि का अवसान नहीं हो जाता, या

(ख) वह केन्द्रीय आयुक्त द्वारा रद्द नही कर दिया जाता या इन नियमों के उपबन्धों में से किसी के अधीन रद्द किया गया नहीं समझा जाता, या

(ग) वह कर्मचारी द्वारा अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता, या

(घ) कर्मचारी उस निवास स्थान में अधिभोग रखनी समाप्त नहीं कर देता ।

(2) किसी कर्मचारी को आबंटित निवास स्थान नीचे की गई सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने पर उस सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उपनियम (3) के अधीन रहते हुए रखे रखा जा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि निवास-स्थान कर्मचारी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के सद्भावित उपयोग के लिए अपेक्षित हों ।

सारणी

घटनाएं	निवास स्थान रखे रखने के लिए अनुज्ञेय अवधि
(i) सेवा से पद त्याग पदच्युति या हटाया जाना, सेवा का पर्यवसान या बिना अनुज्ञा अप्राधिकृत अनुपस्थिति	1 मास
(ii) सेवा निवृत्ति या सेवात छुट्टी	2 मास
(iii) आबंटिती की मृत्यु	4 मास
(iv) निवास स्थान के आबंटन स्थान से बाहर किसी स्थान को स्थानांन्तरण	2 मास
(v) भारत में अन्यत्र में सेवा में जाने पर	2 मास
(vi) भारत में अस्थायी स्थानांतरण या भारत से बाहर किसी स्थान पर प्रतिनियुक्ति	4 मास

घटना	निवास स्थान रखने के लिए अनुज्ञेय अवधि
(vii) छुट्टी (सेवा निवृत्तिपूर्व छुट्टी, अस्वीकृत छुट्टी, सेवान्त छुट्टी या अध्ययन छुट्टी से भिन्न	छुट्टी की अवधि के लिए किन्तु 4 मास से अधिक
(viii) मूल नियम 86 के अधीन अनुदत्त सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी या अस्वीकृत छुट्टी	पूर्ण औसत वेतन पर छुट्टी की पूर्ण अवधि के लिए किन्तु अधिकतम 4 मास तक जिसके अन्तर्गत सेवा निवृत्ति की दशा में अनुज्ञेय अवधि आती है ।
(ix) भारत से बाहर अध्यानार्थ छुट्टी या प्रतिनियुक्ति	छुट्टी की अवधि के लिए किन्तु छह मास से अधिक नहीं ।
(x) चिकीत्सीय आधारों पर छुट्टी	छुट्टी की पूर्ण अवधि के लिए ।
(xi) प्रशिक्षण पर जाने पर	प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि के लिए ।

स्पष्टीकरण – मद (4) और (5) और (6) के सामने वर्णित स्थानान्तरण पर अनुज्ञेय अवधि की गणना कार्यभार त्यागने की तारीख से, नये कार्यालय में कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व कर्मचारी को मंजूर की गई और उसके द्वारा उपभुक्त छुट्टी की अवधि को, यदि कोई हो, जोड कर की जाएगी ।

(3) जहां कोई निवास स्थान उपनियम (2) के अधीन रख रखा जाता है, वहां अनुज्ञेय रियायती अवधि के अवसान पर आबंटन रद्द कर दिया गया समझा जाएगा जब तक कि उसके अवसान के अव्यवहित पश्चात् कर्मचारी किसी पात्र कार्यालय में कर्तव्य भार पुन: न संभाल ले ।

(4) वह कर्मचारी, जिसने निवास-स्थान उपनियम (2) के नीचे दी गई सारणी की मद (i) या मद (ii) के अधीन दी गई रियायत के आधार पर रख रखा है उक्त सारणी में उक्त मदों के सामने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी पात्र कार्यालय में पुन: नियोजित होने पर, उस निवास-स्थान को रख रखने का हकदार होगा और आगे भी किसी निवास स्थान के आबंटन का पात्र होगा ।

परन्तु यदि ऐसे पुनर्नियोजित होने पर कर्मचारी की उपलब्धियां उसे उस टाइप के निवास-स्थान के लिए हकदार नहीं बनाती जिसके वह अभिभोग कर रहा है? तो उसे खाली होने पर निम्नतर टाइप का निवास-स्थान अनुज्ञात किया जाए

12. नाटक से संबंधित उपबन्ध–(1) जहां वास-सुविधा या अनुकल्पिक वास-सुविधा का आबंटन प्रतिग्रहीत कर लिया जा चुका है, वहां भाटक के लिए दायित्व अधिभोग की तारीख से या आबंटन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठवें दिन, इन दोनों में से भी पूर्वतर हो प्रारम्भ होगी ।

(2) ऐसे कर्मचारी से जो प्रतिग्रहण के पश्चात्, आबंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर उस वास-सुविधा का कब्जा लेने में असफल रहता है, ऐसी तारीख से एक मास तक का या उस विशिष्ट वास-सुविधा के पुन: आबंटन की तारीख तक का, इन दोनों में से जो भी पूर्वतर हो भाटक प्रभारित किया जाएगा ।

(3) जहां किसी कर्मचारी को, जो किसी निवास-स्थान का अधिभोग कर रहा है, कोई अन्य निवास-स्थान आबंटित किया जाता है और नये निवास-स्थान का अधिभोग रख लेता है, वहां पहले निवास स्थान का आबंटन नये निवास-स्थान के अधिभोग की तारीख से रद्द कर दिया गया समझा जाएगा ।

परन्तु कर्मचारी पहले वाले निवास-स्थान को उस दिन के लिए और उससे अगले दिन के लिए स्थान बदलने के लिए रख सकता है ।

13. जब निवास-स्थान रिक्त नहीं कर दिया जाता तब तक भाटक के सन्दाय के लिए कर्मचारी का वैयक्तिक दायित्व और अस्थाई कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूति का दिया जाना––(1) वह कर्मचारी जिसे इन नियमों के अधीन निवास स्थान आबंटित किया जा चुका है उस अवधि के दौरान जिसके लिए वह निवास स्थान उसे आबंटित किया गया है और उसे आबंटित रहता है, अथवा जहां आबंटन इन नियमों में से किसी उपबन्ध के अधीन रद्द कर दिया गया है वहां जब तक निवास स्थान और उसके साथ अनुलग्न बाह्य-ग्रह रिक्त न कर दिए गये हों, तथा पूर्ण रूप से उसका रिक्त कब्जा केन्द्रीय आयुक्त को प्रत्यावर्तित न कर दिया हो, उसके भाटक के सन्दाय के लिए और उस निवास स्थान को या उसमें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा उपबन्धित फर्नीचर फिक्सचर या फिटिंग या सेवाओं को उचित टूट-फूट के अलावा, पहुंच गए किसी नुकसान के लिए वैयक्तिक रूप से दायी होगा ।

(2) जहां वह कर्मचारी, जिसे निवास स्थान आबंटित किया गया है, केन्द्रीय बोर्ड का स्थायी कर्मचारी नहीं है वहां वह ऐसे निवास स्थान और सेवाओं के बारे में या बदले में उपबन्धित किसी अन्य निवास स्थान के बारे में अपनी ओर से शोध्य भाटक और अन्य प्रभारों के सम्यक् सन्दाय के लिये केन्द्रीय सरकार बोर्ड के किसी स्थायी कर्मचारी का प्रतिभू बन्ध पत्र केन्द्रीय आयुक्त द्वारा इस निमित्त विहित प्ररूप में देगा ।

जहां प्रतिभू केन्द्रीय बोर्ड की सेवा में बना नहीं रहता है या दिवालिया हो जाता है या वह अपनी प्रत्याभूति प्रत्याकर लेता है या किन्हीं अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं रह जाता है तो वह कर्मचारी केन्द्रीय बोर्ड के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा प्रतिभू के रूप में निष्पादित नया बन्धपत्र देगा यदि ऐसे न हो सकने पर उस निवास स्थान का

आबंटन जब तक कि केन्द्रीय आयुक्त द्वारा कोई अन्यथा विनिश्चित न किया जाए, उपर्युक्त घटनाओं में से किसी के घटने की तारीख से रद्द कर दिया गया समझा जाएगा ।

(4) इस नियम के किसी भंग की दशा में कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही और ऐसे दण्ड से, जैसा कि केन्द्रीय आयुक्त विनिश्चित करे दण्डनीय होगा ।

14. **आबंटन का अभ्यर्पण और सूचना की अवधि** :— (1) कोई कर्मचारी इस निमित्त ऐसी प्रज्ञापन देकर, जो निवास स्थान खाली करने की तारीख से कि वह कम से कम दस दिन पूर्व केन्द्रीय आयुक्त के पास पहुंचे, किसी भी समय आबंटन का अभ्यर्पण कर सकेगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार आयुक्त अल्प अवधि के लिए भी सूचना प्रतिगृहीत कर सकेगा ।

(2) निवास स्थान का आबंटन जिस दिन केन्द्रीय आयुक्त द्वारा पत्र प्राप्त किया जाता है उससे या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख के, इन दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, ग्यारहवें दिन से रद्द कर दिया गया समझा जाएगा ।

(3) जहां कोई कर्मचारी सम्यक सूचना देने से असफल रहता है, वहां वह दस दिन के लिए या उतने दिनों के लिए जिनके लिए उसके द्वारा दी गई सूचना उन दस दिनों से कम रहती है । भाटक के संदाय का उत्तरदायी होगा ।

15. **निवास स्थान में परिवर्तन** :— (1) वह कर्मचारी, जिसे नियमों के अधीन कोई निवास स्थान आबंटित किया जा चुका है, उसी टाइप के निवास स्थान में परिवर्तन किये जाने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

परन्तु कर्मचारी को निवास स्थान के एक-टाइप के बारे में एक से अधिक परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) परिवर्तन, केन्द्रीय आयुक्त के कार्यालय में उसके लिए आवेदनों की प्राप्ति के क्रम में प्रस्थापित किये जाएंगे ।

(3) यदि कोई कर्मचारी आबंटन के लिए प्रस्थापना की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर उसे प्रस्थापित निवास स्थान के परिवर्तन को प्रतिगृहीत करने में असफल रहता है तो उसी टाइप के निवास स्थान के परिवर्तन के लिए उसके आवेदन पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा ।

(4) ऐसे कर्मचारी से जो निवास स्थान के परिवर्तन को प्रतिगृहीत कर लेने के पश्चात्, उसका कब्जा लेने में असफल रहता है, ऐसे निवास स्थान के लिए, भूत नियमों के नियम 151 जैसा कि वह समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को लागू होता है, के अधीन प्रसामान्य भाटक के अतिरिक्त नियम 12 के उप-नियम (1) और (2) में के उपबन्धों के अनुसार भाटक लिया जाएगा, तथा जो निवास स्थान पहले ही से उसके कब्जे में है वह उसके पास ही बना रहेगा ।

16. **कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में निवास-स्थान का परिवर्तन** :— किसी कर्मचारी को, उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु पर निवास स्थान के परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी यदि वह ऐसी घटना के तीन मास के भीतर परिवर्तन के लिए आवेदन करता है, परन्तु परिवर्तन उसी टाइप के निवास-स्थान में दिया जाएगा जैसा उस कर्मचारी को पहले ही आबंटित है ।

17. **निवास - स्थानों की पारस्परिक अदल-बदल** :— (1) वे कर्मचारी, जिन्हें इन नियमों के अधीन एक ही टाइप के निवास स्थान आबंटित किए गए हैं अपने निवास स्थानों के पारस्परिक अदल-बदल की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

(2) पारस्परिक अदल-बदल के लिए अनुज्ञा अनुदत्त की जा सकेगी, यदि दोनों कर्मचारियों की ऐसे अदल-बदल के अनुमोदन की तारीख से कम से कम छह मास के लिए केन्द्रीय बोर्ड के अधीन कर्त्तव्यारूढ रहने की और पारस्परिक रूप से अदल-बदल किए गए अपने निवास-स्थानों में निवास करने की मुक्तियुक्त प्रत्याशा हो ।

18. **निवास स्थान का अनुरक्षण** :— (1) वह कर्मचारी, जिसे निवास-स्थान आबंटित किया गया है केन्द्रीय आयुक्त के समाधान प्रद रूप में निवास-स्थान और परिसरों को साफ स्थिति में बनाए रखेगा ।

(2) निवास स्थान से संलग्न किसी बगीचे, आंगन या अहाते में न तो केन्द्रीय आयुक्त द्वारा निकाले गये अनुदेशों के प्रतिकूल कोई वृक्ष, झाड़ी या पौधे उगाये जायेंगे और न ही केन्द्रीय आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई विद्यमान वृक्ष या झाड़ी काटी जाएगी या उनकी काट-छांट की जाएगी ।

(3) इस नियम के उल्लंघन में उगाए गए वृक्ष, पौधे या वनस्पति पेड़-पौधे सम्बन्धित कर्मचारी के जोखिम और खर्च पर केन्द्रीय आयुक्त द्वारा हटाए जा सकेंगे ।

19. **निवास स्थान का उप-पट्टे और अंशभोग पर देना** :— (1) कोई भी कर्मचारी, इन नियमों के अधीन निवास-स्थान के आबंटन के लिए पात्र केन्द्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के सिवाय किसी को ऐसा निवास स्थान जो उसे आबंटित है या उससे अनुलग्न कोई वाह्य-गृह गैरेज और अस्तबल अंशभोग पर देगा ।

(2) सेवकों के क्वार्टरों, वाह्य-गृहों, गैरेजों और अस्तबलों का उपयोग केवल सद्भावपूर्ण प्रयोजनों के लिए, जिसमें आबंटिती के सेवकों का निवास-स्थान भी है, या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा जो केन्द्रीय आयुक्त द्वारा अनुज्ञात किए जाएं ।

(3) कोई भी कर्मचारी अपने सम्पूर्ण निवास-स्थान को उप-पट्टे पर नहीं देगा :

परन्तु छुट्टी पर जाने वाला कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी को जो इन नियमों के अधीन वास-सुविधा के आबंटन का पात्र है, छह मास से अनधिक की अवधि के लिए अवधायक के रूप में निवास स्थान में रहने दे सकेगा :

(4) कोई भी कर्मचारी जो अपने निवास स्थान को अंश-भाग पर या उपपट्टे पर देगा वह अपने जाखिम और उत्तरदायित्व पर ऐसा करेगा और उस निवास स्थान के बारे में सदैव किसी भी भाटक के लिए और निवास-स्थान या उसकी प्रसीमाओं या मैदानों या केन्द्रीय आयुक्त द्वारा उसमें उपबन्धित सेवाओं का उचित टूट-फूट के अलावा, पहुंचाए गए किसी भी नुकसान के लिए वैयक्तिक रूप में उत्तरदायी होगा ।

20 **नियमों और शर्तों के भंग के परिणाम** :— अच्छे और पर्याप्त कारणों से, निम्नलिखित शास्तियां केन्द्रीय आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जा सकेंगी :—

(1) जहां कोई कर्मचारी जिसे निवास स्थान आबंटित किया जा चुका है, अप्राधिकृत रूप से निवास स्थान को उप-पट्टे पर देगा या अणभोगी से ऐसी दर से भाटक प्रभारित करेगा जिसे केन्द्रीय आयुक्त अत्याधिक समझता है अथवा उस निवास स्थान के किसी भाग में कोई अप्राधिकृत संरचना का परिनिर्माण करेगा अथवा उस निवास-स्थान या उसके किसी भाग का किन्हीं ऐसे प्रयोजनों के लिए उपभोग करेगा जो उन प्रयोजनों से भिन्न है जिनके लिए वह अभिप्रेत है, अथवा विद्युत या जल कनेक्शन से छेड़-छाड़ करेगा अथवा इन नियमों या आबंटन के निबन्धों और शर्तों का कोई अन्य भंग करेगा अथवा निवास-स्थान या परिसर का किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जिसे केन्द्रीय आयुक्त अनुचित समझता है, उपभोग करेगा या उपभोग करने के लिए अनुज्ञा देगा या उपयोग होने देगा अथवा स्वयं ऐसी रीति से आचरण करेगा जिससे उसकी राय में उसके पड़ोसियों के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्धों के बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा जहां उसने आबंटन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी आवेदन या लिखित कथन में जानबूझकर अशुद्ध जानकारी दी है, वहां केन्द्रीय आयुक्त निवास-स्थान के आबंटन को रद्द कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण :— इस खण्ड में "कर्मचारी" पद के अन्तर्गत जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य और कर्मचारी से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति आता है ।

(2) जहां किसी कर्मचारी ने आबंटन के किसी आवेदन में या उससे सम्बन्धित कथन में किसी तात्विक तथ्य को छिपा कर आबंटन प्राप्त किया हो वहां केन्द्रीय आयुक्त जिस तारीख से कर्मचारी वास-सुविधा के आबंटन के लिए पात्र हुआ था, उस तारीख से आबंटन रद्द कर सकेगा ।

(3) (i) जहां आबंटन रद्द करने की कार्यवाही आबंटिती द्वारा परिसर के अप्राधिकृत उपपट्टे पर दिए जाने के कारण की जाती हो वहां आबंटिती और उसके साथ उसमें निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस परिसर को रिक्त करने के लिए सात दिन की अवधि अनुज्ञात की जाएगी ।

(ii) आबंटन, परिसर रिक्त किए जाने की तारीख या आबंटन के रद्द करने के लिए दिए गए आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के अवसान की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, से रद्द किया जाएगा ।

(4) जहां किसी निवास स्थान का आबंटन पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने के प्रतिकूल आचरण के कारण रद्द किया जाता है, वहां उस कर्मचारी को केन्द्रीय आयुक्त के विवेकानुसार किसी अन्य स्थान पर उसी टाइप में कोई अन्य निवास स्थान आबंटित किया जा सकेगा ।

(5) केन्द्रीय आयुक्त, इस नियम के खण्ड (1) से (4) के अधीन सब कार्यवाहियां या उनमें से कोई भी कार्यवाही करने के लिए और उस कर्मचारी को, जो उन नियमों और अनुदेशों को भंग करता है जो उसे जारी किए गए हों, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए निवास स्थान संबंधी वास-सुविधा के आबंटन के लिए अपात्र घोषित करने के लिए सक्षम होगा ।

21. **आबंटन के रद्द करने के पश्चात् निवास-स्थान में अधिक ठहराना** :— जहां इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी आबंटन के रद्द किए जाने के या रद्द किया गया समझे जाने के पश्चात वह निवास-स्थान उस कर्मचारी को जिसे वह आबंटित किया गया था या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिभोग में रहता है या रहा है, वहां ऐसा कर्मचारी, उस निवास स्थान सेवाओं, फर्नीचर के उपयोग और अभिभोग के लिए बाजार भाटक के बराबर ऐसा नुकसानी और बगीचा प्रभार देने के लिए दायी होगा, जो केन्द्रीय आयुक्त द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाए ।

परन्तु किसी कर्मचारी को, विशेष दशाओं में मूल नियम के नियम 45-क के अधीन मानक भाटक से, जैसा कि सह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर लागू होता है, दो गुना या उस नियम के अधीन पूल किए गए मानक भाटक से दो गुना इन दोनों में जो भी अधिक हो, सन्दाय करने पर, छह मास से अनधिक अवधि के लिए निवास-स्थान प्रतिधारित करने के लिए केन्द्रीय आयुक्त अनुज्ञात कर सकेगा ।

22. **इन नियमों के जारी किए जाने से पूर्व किए गए आबंटनों का बना रहना** :— निवास स्थान के किसी विधिमान्य आबंटन को, जो इन नियमों प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व अस्तित्वशील हो इस बात के होते हुए भी कि वह कर्मचारी जिसे आबंटन किया गया है, नियम 5 के अधीन इस टाइप के निवास-स्थान के लिए हकदार नहीं है, इन नियमों के अधीन सम्यक रूप से किया गया आबंटन समझा जाएगा और इन नियमों के सभी पूर्ववर्ती उपबन्ध उस आबंटन तथा उस कर्मचारी के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

23. **निर्वचन** :— यदि इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उठे तो वह केन्द्रीय आयुक्त द्वारा विनिश्चित किया जायगा।

24. **शिथिल करने की शक्ति** :— केन्द्रीय आयुक्त, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लिपिबद्ध करके किसी कर्मचारी या निवास-स्थान या कर्मचारियों के वर्ग या निवास स्थानों के टाइप के मामलों में इन नियमों के सभी या उनमें से किसी उपबन्ध को शिथिल कर सकेगा।

25. **शक्तियों का प्रत्यायोजन** :— केन्द्रीय आयुक्त अपने नियंत्रणाधीन किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे इन नियमों द्वारा उसको प्रदत्त सभी या उनमें से कोई भी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

26. केन्द्रीय सरकारी सेवकों के तत्समान वर्गों को समय समय पर लागू होने वाले नियम और आदेश उन विषयों के बारे में लागू होंगे जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबन्ध किया गया है।

आबंटिती

अनाबंटिती

अनुसूची "क"
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
————————कार्यालय

19 वर्ष के लिए अधिकारियों के निवास स्थान के आबंटन के लिए आवेदन-पत्र का प्रारुप।

1. (क) नाम श्री/श्रीमती/कुमारी . . . .
(मोटे अक्षरों में)

(ख) वर्तमान पदनाम . . . .

(ग) धारित स्थायी पद की . . . .
विशिष्टियां . . . .

2. (क) 1 जनवरी, 19. . . . . . को उपलब्धियां

वेतन	विशेष वेतन	मंहगाई वेतन	प्रतिनियुक्ति (कर्त्तव्य) भत्ता	*वेतन के अतिरिक्त पेंशन, यदि कोई हो	कुल

(ख) उपर्युक्त (क) में की उपलब्धियां किस तारीख से प्राप्त की जा रही हैं . . . . . .

3. *किस टाइप का पात्र है और उसके लिए पूर्विकता—तारीख:

वास सुविधा का टाइप	पूर्विकता तारीख

समुचित टाइप . . . .
उससे ठीक नीचे का टाइप . . . .

5. आबंटित निवास-स्थान, यदि कोई हो तो, उसकी विशिष्टियां

5. (क) क्या आवेदक निवास-स्थान के आबंटन से विर्सजित है?

(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर हां में है तो उसके ब्यौरे दीजिए

(i) अवधि

(ii) पत्र संख्या तारीख :

6. क्या अधिकारी बिना भाटक वास-सुविधा का हकदार है? हां/नहीं

7 (क) क्या आवेदक, उसकी पत्नी/उसक पति या उसके आश्रित बालक या बालकों के पास उसके कर्त्तव्य स्थल पर उसका कोई अपना मकान है? यदि है, विशिष्टियां दीजिए।

मकान संख्या. . . . . और गली	स्वामी के साथ सम्बन्ध तथा स्वामित्व की सीमा

(ख) यदि पहले ही से घोषित किया जा चुका हो तो पत्र की तारीख और सं० दीजिए
पत्र सं० और तारीख

8. पद धारण न करने वाले अधिकारियों की दशा में प्रतिभूत की विशिष्टियां :

1. नाम. . . . .
2. धारित स्थायी पद . . . .
3. किस कार्यालय से संबध है . . . .
4. क्या प्रतिभूत जीवित है . . . .

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निवास-स्थानों के आबंटन को लागू होने वाले सभी नियम पढ़ लिए है और मैं घोषित करता

हूं कि मैं ने ऊपर जो विशिष्टियां दी हैं वे सही हैं तथा मुझे किया जाने वाला या पहले ही से किया गया आबंटन इन नियमों और उनके पश्चात्वर्ती संशोधनों, यदि कोई हो, के अधीन रहेगा ।

हस्ताक्षर .....

जिस कार्यालय से सम्बद्ध हो उसका नाम .....

.....

तारीख .

मुख्यालय के प्रयोग के लिए

आबंटित निवास-स्थान की विशिष्टियां .....
लिपिक के तारीख सहित आद्यक्षर .....
कार्यालय अधीक्षक/मुख्य लिपिक के तारीख आद्यक्षर .....
केन्द्रीय आयुक्त के तारीख सहित आद्यक्षर .....

टिप्पणी *पेंशन में मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान के बराबर पेंशन का भाग और यदि पेंशन का कोई भाग संरक्षित किया गया है तो वह भी सम्मिलित होगा ।

*"उससे नीचे वाली" विशिष्टियां तभी भरिए जब "उससे नीचे वाला" टाइप वांछित हो ।

वेतन रेंज	टाइप
रु०	
1600 और इससे ऊपर	VII
1300 – 1599	VI
700 – 1299	V
400 – 699	IV
250 – 399	III
110 – 249	II
110 – से कम	I

अनुसूची "ख"

प्रतिभू प्रबन्धपत्र

मैं, श्री ....., पुत्र ..... जो इस समय .....के रूप में ..... पें नियोजित हूं, केन्द्रीय आयुक्त द्वारा श्री ..... को, जो इस समय .....के रूप में नियोजित है, अब आबंटित निवास-स्थान की बाबत तथा किसी अन्य निवास-स्थान की बाबत जो केन्द्रीय आयुक्त द्वारा, समय-समय पर उसे आबंटित किया जाए, उसके द्वारा भाटक और अन्य शोध्य रकम के संदाय के लिए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्ययन के प्रति एतद्द्वारा प्रतिभू (जिस पद के अन्तर्गत मेरे वारिस, निष्पादक और प्रशासक भी हैं) बनता हूं ।

मैं, प्रतिभू उस सभी हानि या नुकसान की जो उक्त .... को निवास-स्थान के आबंटन के कारण केन्द्रीय आयुक्त को उठाना पड़े या उसे कारित हो, केन्द्रीय आयुक्त को क्षतिपूर्ति करने की एतद्द्वारा जिम्मेदारी तब तक लेता हूं जब तक उसका रिक्त कब्जा केन्द्रीय आयुक्त को एतद्द्वारा सौंप दिया न जाए, मैं; प्रतिभू, एतद्द्वारा यह जिम्मेवारी और लेता हूं कि केन्द्रीय आयुक्त द्वारा मांग की जाने पर उसे तत्काल तथा बिना किसी आपत्ति के ऐसी सभी राशियों का संदाय करूंगा जो पूर्वोक्त रूप से केन्द्रीय आयुक्त को देय हों और मैं एतद्द्वारा सहमति प्रकट करता हूं कि मुझे देय वेतन में से उक्त राशियां वसूल करने के लिए केन्द्रीय आयुक्त स्वतंत्र होगी (और ऐसा करने के लिए अप्रतिसंहारणीय रूप से एतद्द्वारा प्राधिकृत हैं) और इस प्रकार वसूल की जाने वाली रकम के बारे में केन्द्रीय आयुक्त का विनिश्चय अन्तिम और मुझ पर आबद्धकर होगा ।

अपने जिम्मे ली गई उपर्युक्त बाध्यता को, केन्द्रीय आयुक्त द्वारा समय बढ़ाए जाने के कारण या उक्त श्री (आबंटिती) .... को दिए गए किसी अन्य अनुग्रह के कारण, या किसी ऐसी मामले या ऐसी बात के कारण, जिस प्रकार, यदि यह प्रबन्ध न होता तो, यह होता कि ऐसे भूमित्व से मैं प्रतिभू से संबंधित विधि के अधीन निर्मुक्त हो जाता, उन्मोचन नहीं होगा या किसी भी रूप में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । जब तक उक्त श्री (आबंटिती) ..... किसी ऐसे निवास-स्थान, सेवकों के क्वार्टर और या गैरिज के अधिभोग में रहता है तब तक गारन्टी किसी भी समय प्रतिसंहरणीय नहीं होगा, और न ही मेरी मृत्यु से उसका उन्मोचन होगा ।

इन दस्तावेज पर यदि कोई स्टाम्प शुल्क संदेय हो तो उसे देने के लिए सरकार सहमत है ।

उक्त ..... द्वारा

स्थान .....19..... के

..... दिन को हस्ताक्षरित और परिदत्त

हस्ताक्षर (प्रतिभू के हस्ताक्षर)

साक्षी का पता : पदनाम

और व्यवसाय

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रतिभू संबंधित कार्यालय का नाम इस कार्यालय/संगठन का स्थायी कर्मचारी है।

प्रतिगृहीत जिस विभाग या कार्यालय में प्रतिभू नियोजित है उसके प्रधान के हस्ताक्षर

न्यासियों के बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

[संख्या 41 (61)/65-पी० एफ०-1]

दलजीत सिंह,

अवर सचिव, भारत सरकार।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 20th May 1972

S.O. 803.--In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of *Senior Technical Assistant (Conventional Contraceptive)* in the Department of Family Planning, namely :—

1. **Short title and commencement** :—(a) These rules may be called the Department of Family Planning Senior Technical Assistant (Conventional Contraceptive) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** :—These rules shall apply for recruitment to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number. classification and scale of pay** :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc:**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid :

Provided that the upper age limit specified for direct recruits in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualification** :—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligibl for appointment to the said post :

Provided that the Cnetral Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Senior Technical Assistant (Conventional Contraceptive)	One	General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 325—15—475—EB—20—575.	Not applicable.	35 years (Relaxable for Government servants).	*Essential*: (i) Degree of recognised University or equivalent preferably with**

**Mathematics or Chemistry as one of the subjects.

(ii) About 5 years experience in indenting, purchase, distribution and maintenance of Stores and Stores accounts in a Government Department or public body or a concern of repute.

(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).

Desirable: —Interpretation of test reports preferably on Conventional Contraceptives.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 2/1 (10)/68-Estt. I]

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 1972

एस० ओ० 803.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा परिवार नियोजन विभाग में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (प्रचलित गर्भ निरोधक) के पद की भर्ती की विधि का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** :—(क) इन नियमों को परिवार नियोजन विभाग वरिष्ठ तकनीकी सहायक (प्रचलित गर्भ निरोधक) भर्ती नियमावली 1972 कहा जाए।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **उपयोजन** :—इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पद पर भर्ती के लिये यह नियम लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वही होगा जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की विधि, आयु सीमा और अर्हताएं आदि** :—भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं :

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के प्रत्याशियों के लिये सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

5. **अनर्हताएं** :—वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र न होगा :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह इस प्रकार के व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

6. **छूट देने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूल है, वहां वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामलों में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से आदेश जारी कर छूट दे सकती है।

7. **प्रतिबन्ध** :—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये किये जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर इन नियमों में निहित किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मान	क्या सेलेक्शन पद अथवा गैर सेलेक्शन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
वरिष्ठ तकनीकी सहायक (प्रचलित गर्भनिरोधक)	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 2, अराजपत्रित अननुसचिवीय	रु० 325–15–475–द० रो०–20–575.	लागू नहीं होता	35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)	**अनिवार्य** . (1) गणित अथवा रसायन शास्त्र में से किसी एक विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा समकक्ष। (2) किसी सरकारी विभाग अथवा प्रसिद्ध संस्थान में इन्डैन्टिंग, खरीद, वितरण तथा भंडारों के रखरखाव और भंडार लेखे का करीब 5 वर्ष का अनुभव। (अन्यथा अच्छी अर्हता प्राप्त प्रत्याशियों के लिए आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय) **वांछनीय** : परीक्षण रिपोर्टों की, विशेषतया प्रचलित गर्भ निरोधकों संबंधी व्याख्या।

क्या पदोन्नति में रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भर जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली 1958 के अधीन यथोपेक्षित।

[सं० 2/1(10)/68–स्थापना-1]

New Delhi, the 27th May 1972

G.S.R. 804.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Family Planning Investigator (Budget and Bill and Senior Accountant) Recruitment Rules, 1968, namely:—

(1) The rules may be called the Department of Family Planning Investigator (Budget and Bill and Senior Accountant) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Family Planning Investigator (Budget and Bill and Senior Accountant) Recruitment Rules, 1968, in column 11, under the heading "Transfer on Deputation" in item (ii), for the words "Central Secretariat Service", the words and figures "Central Secretariat Service, or Stenographers, Grade-II of the Central Secretariat Stenographers Service" shall be substituted.

[No. F. 2/1(8)/68-Estt. I.]

R. P. MARWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 1972

जी० एस० आर० 804.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद् द्वारा परिवार नियोजन विभाग अन्वेशक (बजट बिल तथा वरिष्ठ लेखाकार) भर्ती नियमावली, 1968 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं नामत् :—

(1) ये नियम परिवार नियोजन विभाग अन्वेशक (बजट एवं बिल तथा वरिष्ठ लेखाकार) संशोधित नियमावली, 1972 कहलाए जा सकेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. परिवार नियोजन विभाग अन्वेशक (बजट और बिल तथा वरिष्ठ लेखाकार) नियमावली 1968 में कालम II के पद (2) में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण" शीर्षक के अन्तर्गत सचिवालय सेवा" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सचिवालय सेवा अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक, ग्रेड 2" शब्द रख लिया जाय।

[सं० एफ० 2/1(8)/68-स्थापना]

आर० पी० मरवाह, अवर सचिव।

(Department of Health)

New Delhi the 13th June 1972

G.S.R. 805.—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), and after consultation with the Central Committee for Food Standards, is hereby published as required by sub-section (1) of section 23 of said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby: and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the 31st August, 1972. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect of the said draft rules before the date so specified above shall be considered by the Central Government :—

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules 1972.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955,—(1) in rule 7, for sub rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) After the analysis has been completed, he shall send to the person concerned two copies of the result of such analysis in form III within the period specified in column 3 of the Table below of the receipt of the sample specified in the corresponding entry in column 2 thereof.

TABLE

Sl. No.	Sample	Period
1	2	3
1	Milk and milk products (except ghee) ice-candy	10 days
2	Oils and fats, ghee, vanaspati margarine	1½ days
3	Cereals and cereal products (atta Maida, semolina)	14 days
4	Barley powder, corn flour corn flakes rolled oats, custard powder except bread	10 days
5	Bread	2 days
6	Biscuits, sweets and confectionery	15 days
7	Bewerage, fruit products (tinned and bottled), vinegar	15 days
8	Gur, Sugar and other sweetening agents	20 days
9	Coal tar and other food colours and baking powder	10 days
10	Preservatives and antioxidants in foods	14 days
11	Spices and condiments, beans, tea, coffee, edible salt, catechu, gelatin	60 days
12	Other foods	60 days";

(2) in rule 8,—

(a) in clause (iii) for the words "three months" the words "forty-five days" shall be substituted;

(b) in clause (iv)—

(i) after the words "one of the subject, or" the words "a Graduate in Pharmacy or" shall be inserted;

(ii) for the words "three months" the words "forty-five" shall be substituted;

(c) after clause (iv) the following clause shall be inserted :—

"(v) The period of training referred to in clauses (iii) and (iv) shall be extended to three months whenever considered necessary by the concerned Food (Health) Authority";

(3) in rule 9, for clause (j), the following clause shall be substituted, namely :—

"(j) to send by hand or registered post, a copy of the report received in Form III from the public analyst to the person from whom the sample was taken, in cost it is found to be—

(i) not confirming to the Act or rules made thereunder, as soon as the case is field in the court,

(ii) confirming to the Act or rules made thereunder, within ten days of the receipt of the said report.";

(4) in rule 20—

(a) in the heading for the word "dahi", the words "dahi, khoya" shall be substituted;

(b) for the words "dahi and gur", the words "dahi, khoya and gur" shall be substituted;

(5) in rule 22, item 23 shall be renumber as item 38 thereof and before item 38 as so renumbered, the following items shall be inserted, namely :—

23.	Bread, toasts	500 grams
24.	Biscuits, pasteries and confectionery plain without colour	250 grams
25.	Coloured Biscuits, Pastries and confectionery	500 grams
26.	Toffee, Chocolate, Hard boiled sugar confectionery and allied ariticles of food	300 grams
27.	Custard powder	250 grams
28.	Corn flakes	200 grams
29.	Baby food	450 grams
30.	Prepared tea for saccharin and colour .	220 ml.
31.	Besan (gram powder)	200 grams
32.	Cream	250 grams
33.	Dried milk	250 grams
34.	Condensed milk	250 grams
35.	Curry powder	300 grams
36.	Cheese	200 grams
37.	Syrup	250 grams"

(6) in rule 28, in the table, for item 3 the following item shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"3. Blue	Brilliant Blue FCF,	42090	Triarylmethane"

(7) in rule 29,—

(a) after sub-clause (g), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(gg) Alcoholic beverages allowed for a period of two years.";

(b) in sub-clause (h) after the words "Custard powder", the words "and Corn Flour" shall be added.

(8) after rule 37, the following rule shall be inserted, namely :—

"37-A. *Labels for Proprietory or fancy trade names.*—In all types of proprietory foods where fancy names or trade names are used, the name of the food or category under which it falls in these rules shall also be mentioned on the label. In case, it cannot be classified in any of the standards prescribed in Appendix B, then the names of the ingredients used in the products in descending order of composition shall be indicated on the label subject to prior approval of Central Committee for Food Standards";

(9) in rule 42, after sub-rule (D), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(E) Every container containing Cassia shall bear a label upon which is printed a declaration as to distinguish it from Cassia Zeylenicum (Dalchini).

(F) Every container of chillies which contains added edible oil shall bear the following label :—

Chillies in this container contain an admixture of not more than 2 per cent of edible oil.";

(10) in rule 48A, the following shall be inserted at the end, namely :—

"(vi) The coal tar dyes and their preparations or mixtures permitted for use in certain foods shall be sold only under Indian Standards Institution certification mark.";

(11) after rule 48A, the following shall be inserted, namely:—

"48 B. Sale of insect damaged dry fruits and nuts:—

The dry fruits and nuts like raision, currents, figs, cashewnuts, aspricots almonds may contain 5 per cent of insect damaged fruits and nuts, by count";

(12) in rule 53, in clause (ii), after item (e), the following item shall be inserted, namely:—

"(f) Sodium and calcium proportionate.";

(13) in rule 55, in the table,—

(a) after serial No. 11 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"11A. Canned Rassogolla (Provided the cans are internally lacquered with sulphur-dionide resistant lacquer).	Sulphur-dioxide	100";

(b) against serial No. 12, in column (3), for the figures "350" the figures "1000" shall be substituted;

(14) in rule 60, for the words "and brominated vegetable oils", the words "poly-oxy-ethylene sorbiton monostearate and brominated vegitable oils", shall be substituted;

(15) in Appendix A in Form III, after the words "analysis to be as follows", the following shall be inserted, namely:—

"Category of food	Characteristics examined	Specifications under prevention of Food Adulteration Rules	Results of analysis	Whether conforms and if not percentage of departure from the prescribed specifications."

(16) In Appendix B (i) to item A.05 the following Note shall be inserted, namely:—

"NOTE.—(1) The extraneous matter wherever prescribed under this item shall be classified as follows:—

(a) Organic extraneous matter shall include chaff, stems, straw.

(b) Inorganic extraneous matter shall include dust, dirt, stones, lumps of earth.

(i) Of the permitted extraneous matter in item A.05·01 A.05.03, A.05·04, A.05·05, A.05·07, A.05·08, A.05·09, A.05·10, A.05·11, A.05 12, A.05·14, A.05·15, A.05·16, A.05·17 and .05·18 the inorganin extraneous matter shall not exceed 2 percent by weight."

(ii) in item A.05.05.01,—for the words, oils and flavouring matter", the following words and figure shall be substituted, namely; "and flavouring matter. The chilly powder may contain an edible oil to a maximum limit of 2 per cent by weight under a label declaration with equal to the amount and the nature of oil used.";

(iii) after item A.05.06.01, the following item shall be inserted, namely:—

"A-05.06.02:—Cassia (Chini Dalchini) Whole means the dried pieces of back of Cinna momun Cassia Blume. It shall not contain any other foreign vegetable matter and colouring matter. Cassia shall be sold in containers which shall be clearly labelled so as to distinguish it from Cinnamomum Zeylanicum (Dalchini).";

(iv) in item A.05.21:—

(a) against the entry "Moisture", for the figures "10.0", the figures "14.0" shall be substituted;

(b) against the entry "Ash insoluble in dilute HCl," for the figures "1.0" the figures "2.0" shall be substituted;

(c) after the entry "Lead" the following shall be inserted at the end, namely:—

"Whenever edible common salt is added, its percentage by weight shall be declared on the label. Also the names of spices contained in the curry powder shall be given on the label in decesending order.";

(v) in item A. 07.01 the following shall be inserted at the end, namely:—

Misri (Palm and sugar cane) shall bethecrystalised sugar having sucrose not less than 98.0% and total ash not more than 0.4%.

(vi) in item A. 07.03.

(a) for the figures "10" the figures "5.0" shall be substituted.

(b) for the words "minimum reducing sugar content shall be 60 per cent. Fiehe's test shall be negative", the words "minimum reducing sugar content (expressed as invert sugar) shall be 65 per cent. The fructose or Glucose ratios shall not be less than 0.90. Fiehe's test should ordinarily be negative but if positive Hydroxy-Methyl Furfural content shall not exceed 40 p.p.m." shall be substituted;

(vii) in item A. 11.01.11 in the table,

(a) for the entry "BUFFALOMILK" and the enteries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5
'Buffalo milk and mixed milk (market/ Janta milk) standardised milk	Raw, Pasteurised Boiled flavoured & sterlised.	All India	5·0%	9.0%

(b) against the entry "Cow milk", for the entries in columns 3, 4 and 5 the following enteries shall be substituted, namely:—

3	4	5
"All India	3·5%	8·3%"

(c) the entry Standarized milk and the entries relating thereto shall be omitted;

(viii) in item A. 11.02.07 the words "either singly or in combination" shall be added at the end.

(ix) in item A. 11.02.08,—

(a) for the words "chocolate ice cream" the words "allied frozen products" shall be substituted.

(b) the following shall be added at the end. namely:—

"Starch may be added under a label which shall have the declaration specified in sub rule (2) of rule 43. The Standards for ice cream shall also-apply to softy ice-cream.";

(x) in item A. 11.02.14,—

(a) for the words "the minimum solubility", the following words and figures shall be substituted, namely:—

"The maximum acidity expressed as lactic acid shall not be more than 1.2%. The total count shall not exceed 50,000 per gram and Ecoli shall not exceed 90 per gram. The minimum";

(b) the words and figures "solubility per cent by weight (min) 85.0 98.5 or" shall be omitted;

(xi) in item A. 1102.15,—

(a) for the word "The minimum solubility?" the following words and figures shall be substituted, namely:—

"The total acidity expressed as lactic acid shall not exceed 1.5%. The total count shall not exceed 50,000 per gram and Ecoli shall not exceed 90 per gram. The minimum';

(b) the words and figures "solubility per cent by weight (min) 85.0 98.05. or" shall be omited.

(xii) in item A. 1102.16,—

(a) the words and figures "Solubility per cent by weight (min) . .. 85.0 90.5 or" shall be omitted;

(b) the following shall be inseted at the end, namely:—

"Partly skimmed milk powder (sour) used by industry like bakery may contain sodium bicarbonate as a neutralizer, provided that the resultant product is labelled as "UNFIT FOR BABIES". The total amount of food additives including neutralizers added shall however, be the same as prescribed for partly skimmed milk powder. It shall also conform to other standards prescribed for partly skimmed milk powder"

(xiii) in item A. 11.02.17 after the word "buffalo" the words "or goat" shall be inserted;

(xiv) in item A. 1102.18,—

(a) for the words "The minimum solubility" the words "The minimum" shall be substituted.

(b) the words "Solubility per cent by weight (min) 85.0 98.5 or" shall be omitted;

(xv) after item A. 15.01 the following item shall be inserted, namely:—

"A. 15.02 Fortified Salt means a crystalline solid, white or pale, pink or light grey in colour, free from visible contamination with clay, grit, and other extraneous adulterants and impurities. It shall not contain moisture in excess of 6.0 per cent of the weight of undried sample. It shall contain on dry weight basis,

(a) at least 91.0 per cent by weight of sodium chloride (NaCl.),

(b) not more than 1.0 per cent by weight of matter insoluble in water,

(c) not more than 6.0% by weight of matter soluble in water (other than sodium chloride) of which sand, dust shall not exceed 1.0 per-cent,

(d) not more than 50 per cent but not less than 2.0 per cent by weight of calcium sulphate (CaSo)";

(xvi) in item A. 16.12 for the words "any coal-tar dye", the words "any coal-tar-dye of red shade," shall be substituted;

(xvii) in item A. 17.06 against the entry "(c) Iodine value" for the figures and word," "96 to 108" the figure and words "96 to 110" provided that when the iodine value exceeds 108 the Hexabromide test for the presence of Linseed shall be performed" shall be substituted;

(xviii) in item A. 18.08, for the words "It shall contain no added colour, flavours or other chemicals" the words, "It may contain permitted colours or flavours under a label as specified in rule 32", shall be substituted;

(xix) in item A. 18.10 for the words, "It shall be free from any other foreign matter", the words "It may contain permitted colours" shall be substituted;

(xx) for item A. 22 the following item shall be substituted, namely:—

"A. 22.—Gelatin shall be purified product obtained by partial hedrolysis of colagen, derived from the skin, white connective tissues and bones of animals. It shall be colourless or pale yellowish and translucent in the form of seeds, flakes, hreds or coarse to fine powder. It shall have very slight odour and taste but not objectionable which is characteristic and bouillon like. It is stable in air when dry but is subject to microbial decomposition when moist or in solution. It shall not contain—

(a) more than 15 per cent moisture;

(b) more than (3.0 per cent) of total ash;

(c) more than 350 parts per million of sulphur dioxide;

(d) less than 15 per cent of nitrogen on dry weight basis.

Gelatin meant for human consumption should be labelled as Gelatin Food Grade."

[No. F. 14-64/71-P.H.]

K. SATYANARAYANA, Under Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 जून 1972

सा० का० नि० 805—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति से परामर्श के पश्चात बनाने की प्रस्थापना करती है, सभी ऐसे व्यक्तियों की, जिनका इसके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है, जानकारी के लिये, उक्त अधिनियम, की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है : और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर तारीख 31 अगस्त 1972 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा :—

1. इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955, में :—

(1) नियम 7 में, उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) विश्लेषण पूरा हो जाने के पश्चात, वह ऐसे विश्लेषण के परिणाम की दो प्रतियां प्ररूप 3 में नीचे की

सारणी के स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नमूनों की प्राप्ति से उसके स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संबंधित व्यक्ति को भेजेगा ।

सारणी

क्रम संख्या	नमूना	अवधि
1	2	3
1.	दूध और दूध उत्पाद (घी को छोड़कर) आइस कैन्डी	10 दिन
2.	तेल और वसा, घी, वनस्पति मार्गरीन	14 दिन
3.	अन्न और अन्न उत्पाद (आटा, मैदा, सूजी)	14 दिन
4.	बार्ले पाउडर, मकई का आटा, मकई का चिउड़ा, वेल्लित, जई कस्टर्ड पाउडर , रोटी को छोड़कर ।	10 दिन
5.	रोटी	2 दिन
6.	बिस्कुट, मिठाईयां और मिष्ठान	15 दिन
7.	पेय, फल उत्पाद (टिन या बोतल में बंद), सिरका	15 दिन
8.	गुड़ , चीनी और अन्य मीठी करने वाले पदार्थ	20 दिन
9.	कोलतार और अन्य खाद्य रंग और खाने का सोड़ा . . .	10 दिन
10.	खाद्य परिरक्षक और ऐंटी आक्सीकारक पदार्थ	14 दिन
11.	मसाले और चटनी , सेम, चाय, काफ़ी , खाद्य नमक, कत्था, जिलेटिन .	60 दिन
12.	अन्य खाद्य पदार्थ . . .	60 दिन

(2) नियम 8 में,—

(क) खंड (iii) में,

"तीन मास" शब्दों के स्थान पर, "पैंतालीस दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) (iv) में,—

(i) "विज्ञान का स्नातक जिसके विषयों में रसायन विज्ञान एक विषय रहा हो, या "शब्दों के पश्चात्, " फार्मेसी का स्नातक या " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "तीन मास" शब्दों के स्थान पर "पैंतालीस दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा :—

"(v) जब कभी सम्पृक्त खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी द्वारा यह आवश्यक समझा जाए, खण्ड (iii) और खण्ड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण की अवधि तीन मास तक बढ़ा दी जाएगी ; "

(3) नियम 9 में, खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) लोक विश्लेषक से प्ररूप 3 में प्राप्त हुई रिपोर्ट की एक प्रति दस्ती या रजिस्ट्री कृत डाक द्वारा उस व्यक्ति को, जिससे नमूना लिया गया था, यदि वह

(i) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, की पुष्टि के अनुरूप न हो तो न्यायालय में केस फाइल करने के तुरन्त पश्चात्,

(ii) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप हो तो उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर , भेजें ";

(4) नियम 20 में, —

(क) शीर्षक में, "दही" शब्द के स्थान पर, "दही, खोया" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) "दही और गुड़" शब्दों के स्थान पर , "दही खोया और गुड़" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(5) नियम 22 में, मद 23 उसकी मद 38 के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएगी और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित मद 38 के पूर्व , निम्नलिखित मदें अंतः स्थापित की जाएंगी; अर्थात् :—

23.	रोटी, टोस्ट . . .	500 ग्राम
24.	बिना रंग के सादा, बिस्कुट, पेस्ट्रीज, और मिष्ठान . . .	250 ग्राम
25.	रंगीन बिस्कुट, पेस्ट्रीज और मिस्ठान	500 ग्राम
26.	टाफी, चाकलेट, चीनी के सख्त मिस्ठान और वैसे ही खाद्य वस्तुएं . .	300 ग्राम
27.	कस्टड पाउडर	250 ग्राम
28.	मकई का चिउड़ा . .	200 ग्राम
29.	शिशु आहार . . .	450 ग्राम
30.	तैयार चाय या सैकेरीन या रंग .	220 मि० ग्रा०

1	2	3
31.	बेसन (चने का आटा)	200 ग्राम
32.	क्रीम	250 ग्राम
33.	दूध चूर्ण	250 ग्राम
34.	संघनित दूध	250 ग्राम
35.	करी का मसाला	300 ग्राम
36.	पनीर	200 ग्राम
37.	सिरप	250 ग्राम";

(6) नियम 28 में, सारणी में, मद 3 के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	नीला . चमकीला नीला एफ सी एफ	42090	ट्राइएरिल-मेथेन";

(7) नियम 29 में,—

(क) उपखण्ड, (छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(छछ) दो वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञात ऐल्कोहालि पेय।";

(ख) उपखण्ड (ज) में,

"कस्टर्ड पाउडर" शब्दों के पश्चात्, "और मकई का आटा" शब्द जोड़े जाएंगे।

(8) नियम 37 के पश्चात्, निम्नलिखिन नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"37क. पेटेन्ट या फैंसी व्यापार नाम के लिए लेबिल :—

सभी प्रकार के पेटेन्ट खाद्यों में जहां फैंसी नामों और व्यापार नामों का प्रयोग किया गया हो वहां इन नियमों में के खाद्य का नाम या प्रवर्ग जिसके अन्तर्गत वह आता है पर लेबल उल्लिखित किया जाएगा। यदि यह परिशिष्ट ख में विहित किसी मानक में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता तो मिश्रण के अवरोही क्रम में उत्पाद में प्रयुक्त संघटकों के नाम लेबल पर इंगित किए जाएंगे जो खाद्य मानकों की की केन्द्रीय समिति के पूर्व अनुमोदन के अधीन होंगे।";

(9) नियम 42 में, उप-नियम (घ) के पश्चात्, निम्न-लिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ङ) प्रत्येक ऐसे पात्र पर जिसमें केशिया रखा हो ऐसा लेबल लगा होगा जिस पर केशिया जीलेनीकम (दालचीनी) में और इसमें अन्तर दर्शित करने वाली घोषणा मुद्रित की गई हो।

(च) मिर्चों के प्रत्येक ऐसे पात्र पर जिसमें परिवर्धित खाद्य तेल रखा हो निम्नलिखित लेबिल लगा होगा :—

इस पात्र की मिर्चों में दो प्रतिशत से अनधिक खाद्य तेल का सम्मिश्रण है।";

(10) नियम 48क में, अंत में निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(vi)" कोलतार रंजक और उसकी निर्मितियां या कतिपय खाद्यों में प्रयोग के लिए अनुज्ञात मिश्रण, केवल भारतीय मानक संस्था के प्रमाणन चिह्न के अधीन बेचे जाएंगे।";

(11) नियमा48क के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"48ख, कीट विकृत सूखे फलों और गिरीदार फलों का विक्रय :—

सूखे फलों और गिरीदार फलों जैसे किशमिश, करेंट्स, अंजीर, काजू की गिरी, खुबानी, बादाम में, गणना के अनुसार, पांच प्रतिशत कीट विकृत सूखे फल और गीरी दार फल हो सकेंगे;"

(12) नियम 53 में, खण्ड (ii) में, मद (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(च) सोडियम और कैलिशयम प्रोपिजानेट";

(13) नियम 55 में, सारणी में —

(क) क्रम सं० 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	
"11क	डिब्बा बंद रसगुल्ला (परन्तु डिब्बों के भीतर लेकर प्रतिरोधी सल्फर डाइ-आक्साइड में वार्निस की गई हो)।	सल्फर डाइ-आक्साइड	100";

(ख) क्रम सं० 12 के सामने स्तम्भ (3) में, "350" अंकों के स्थान पर, "1000" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(14) नियम 60 में, "और ब्रोमीनित वनस्पति तेल" शब्दों के स्थान पर, "पाली आक्सी-एथिलिन सारबिटान मोनो-स्टिऐरेट और ब्रोमीनित वनस्पति तेल" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(15) परिशिष्ट क में, प्ररूप 3 में, "और यह घोषणा करता हूं कि विश्लेषण का परिणाम इस प्रकार है शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

खाद्य का प्रवर्ग	विशिष्टियां जिनकी परीक्षा की गई	खाद्य अपमिश्रण विश्लेषण के निवारण- के परि- नियम के अधीन णाम विनिर्देश	क्या वे विहित विनिदेशो के अनुरूप है और यदि नहीं तो उस के अतिकुप की प्रति- शतता

(16) परिशिष्ट ख में, —

(i) मद क. 05 में, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण— (1) बाह्य पदार्थ, जहां कहीं इस मद में विहित किया गया हो, निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा :—

(क) जब बाह्य पदार्थ के अन्तर्गत कुट्टी, तना, भूसा भी होंगे ।

(ख) अजैब बाह्य पदार्थ के अन्तर्गत धूल, मिट्टी, पत्थर, मिट्टी के ढेले होंगे ।

(2) अजैब खाद्य पदार्थ, मद क. 05.01, क. 0.5.03 क. 05.04, क.05.05, क. 05.07, क. 05.08 क. 05.09क. 05.00, क. 05.11, क.05.12 क. 05.14, क. 05.15, क. 05.16, क.05.17 और क. 05.18 में अनुज्ञात बाल पदार्थ के, भार के अनुसार दो प्रतिशत से अधिक न होगा ।" ;

(ii) मद क. 05.01 में, "तेल और सुवासकारी पदार्थ" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"और सुवासकारी पदार्थ पिसी हुई मिर्च में खाद्यतेल, लेबल-घोषणा के अधीन भार के अनुसार, दो प्रतिशत की अधिक- तम सीमा तक हो सकेगा जो मात्रा और प्रयुक्त तेल की प्रकृति के अनुरूप होगा ।" ;

(iii) मद क. 05.06.01 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"क—05 06.02 :—केशिया (चीनी दाल चीनी) से मिश्रामोमन केशिया ब्लूम की छाल के सूखे टुकड़े अभिप्रेत है । इसमें कोई अन्य विजातीय वन- स्पति पदार्थ और रंजक पदार्थ नहीं मिला होगा केशिया ऐसे पात्रो में बेचा जाएगा जिन पर ऐसा स्पष्ट लेबल लगाया जाएगा जिससे उसमें और मिश्रा-मोमम जी लेनीकम (दालचीनी) में अन्तर किया जा सके ।

(iv) मद क. 05.01 में, —

(क) "नमी" प्रविष्टि के सामने, "10.0" अंकों के स्थान पर, "14.0" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "तनु एच सी 1 में अविलेय भस्म," प्रविष्टि के सामने, "1.0" अंकों के स्थान पर, "2.0" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) "सीसा" प्रविष्टि के पश्चात्, अन्त में निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"जब कभी खाद्य नमक मिलाया जाए तो भारके अनुसार उसकी प्रतिशतता की घोषणा लेबिल पर की जाएगी । करी के मसाले में अन्तर्विष्ट मसालों के नाम भी अवरोही क्रम में लेबल पर देने होंगे ।";

(v) मद क. 07.01 में अंत में निम्नलिखित अंत. स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"मिसरी (ताड और गन्ना दानेदार चीनी होगी जिस मे स्क्रोस 98.0 प्रतिशत से कम नही होगा और कुल भस्म 0.4 प्रतिशत से अधिक नही होगी ।" ;

(vi) मद क. 07.03 में,

(क) "10" अंकों के स्थान पर "5.0" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) "न्यूनतम अपचायक चीनी अन्तर्वस्तु 60 प्रतिशत होगी । फीहे परीक्षण नकारात्मक होगा" शब्दों के स्थान पर, "न्यूनतम अपचायक चीनी अन्तर्वस्तु (जिसे प्रतीप शर्करा कहा गया है) 65 प्रतिशत होगी । प्राक्टोस या ग्लूकोज के अनुपात 0.90 से कम नहीं होंगे । फीहेपरीक्षण सामान्यतः नकारात्मक होना चाहिए किन्तु यदि वह सकारात्मक हो तो हाईड्रोक्सी—मैथाइल फरफरल अन्तर्वस्तु

40 पी० पी० एम० से अधिक नहीं होगी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(vii) मद क. 11.01.11 में, सारणी में,

(क) प्रविष्टि "भैंस का दूध" और उस से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
"भैंस का दूध और मिश्रित दूध (बाजारी/ जनता दूध) मानकीकृत दूध	कच्चा, पास्तुरीकृत उबला हुआ स्वास कारी और निर्जिवाणु-कृत	समस्त भारत	5.0 प्रतिशत	9.0 प्रतिशत;

(ख) प्रविष्टि 'गाय का दूध" के सामने, स्तम्भ 3, 4 और 5 में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

3	4	5
"समस्त भारत	3.5 प्रतिशत	8.3 प्रतिशत

(ग) प्रविष्टि "मानकीकृत दूध" और उस से संबंधित प्रविष्टिय लुप्त कर दी जाएंगी ;

(viii) मद क. 11.02.07 में, "खस्त पनीर में" "0.1 प्रतिशत सौर्विक अम्ल, या उसका सोडियम, पोटेशियम या केल्सियम नमक जिसकी गणना सोर्विक अम्ल के रूप में की गई हो, या 0.1 प्रतिशत निसीन होगा ।" वाक्य के स्थान पर, "सख्त पनीर में 0.1 प्रतिशत सौर्विक अम्ल या उसका सोडियम, पोटेशियम या कैल्सियम नमक जिसकी गणना सौर्विक अम्ल के रूप में की गई हो, या 0.1 प्रतिशत निसीन एकल रूप में या संयुक्ततः होगा ।" वाक्य प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ix) मद क. 11.02.08 में,—

(क) "चाक्लेट आइस क्रीम" शब्दों के स्थान पर "तत्सम जमे हुए उत्पाद" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा,—

"स्टार्च ऐसे लेबल के अधीन मिलाया जा सकेगा जिस पर नियम 43 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट घोषणा की गई हो । आइस क्रीम के मानक सौफ्टी आइस क्रीम को भी लागू होंगे ।" ;

(x) मद क. 11.02.14 में,—

(क) "न्यूनतम घुलनशीलता" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"अधिकतम अम्लता जिसे लेक्टिक अम्ल कहा गया है, 1.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । कुल मात्रा 50.000 प्रतिग्राम से अधिक नहीं होगी और इकोलाई 90 प्रतिग्राम से अधिक नहीं होगी । न्यूनतम" ;

(ख) घुलनशीलता प्रतिशत भार के अनुसार

(न्यूनतम) 85.0 98.5"

या "शब्दों और अंको" को लुप्त कर दिया जाएगा ;

(xi) मद क. 11.02.15 में, —

(क) "न्यूनतम घुलनशीलता" शब्दो के स्थान पर' निम्नलिखित शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"कुल अम्लताका, जिसे लेक्टिक अम्ल कहा गया है, 1 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । कुल मात्रा 50,000 प्रतिग्राम से अधिक नहीं होगी और इकोलाई 90 प्रतिग्राम से अधिक नहीं होगी न्यूनतम ;

(ख) "घुलन शीलता प्रतिशत भार के अनुसार
(न्यूनतम) 85.0 98.6

"या" शब्द और अंक लुप्त कर दिए जाएंगे ।

(xii) क. 11.02.16 में,—

(क) घुलनशीलता प्रतिशत भार के अनुसार
(न्यूनतम) 85.0 90.5

या" शब्द और अंक लुप्त कर दिए जाएंगे ;

(ख) अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

"बेकरी जैसे उद्योग द्वारा प्रयुक्त मागतः क्रीम उतरादूध चूर्ण (खट्टा) में सोडियम बाई कार्बोनेट, निष्प्रभावकारी के रूप में हो सकेगा, परन्तु यह तब जब कि परिणामी उत्पाद पर

"शिशुओं के लिए अनुपयुक्त" लेबल लगा हो । किन्तु खाद्य संयोज्य जिस में परिवर्द्धित निष्प्रभावकारी सम्मिलित हैं, की कुल मात्रा वही होगी जो भागतः क्रीम उतरे दूध चूर्ण के लिए विहित है । यह भागतः क्रीम उतरे दूध चूर्ण के लिए विहित अन्य मानकों के भी अनुरूप होगी।"

(xiii) मद क. 11.02.17 में, "भैंस" शब्द के पश्चात् या बकरी शब्द अंत स्थापित किए जाएंगे ;

(xiv) मद क. 11.02.18 में,—

(क) "न्यूनतम घुलनशीलता" शब्दों के स्थान पर, न्यूनतम " शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) "घुलनशीलता प्रतिशतभार के अनुसार
(न्यूनतम) 85.0 98.5
या" शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे ;

(xv) मद क. 15.01 के पश्चात्, निम्नलिखित स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"क. 15.02—"पौष्टिक नमक" से रंग में सफेद या पांडुर, गुलाबी या हल्का धूसर ऐसा कोई दानेदार सान्द्र अभिप्रेत है जो मृतिका, कंकड़ी, और अन्य बाल अपमिश्रकों और अपद्रव्यों से मुक्त हो । इसमें अभिशोषित नमूने के भार के 6.0 प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होगी । इस में शुष्क भार के आधार पर —

(क) सोडियम क्लोराइड (Na Cl) भार के अनुसार कम से कम 91.0 प्रतिशत होगा,

(ख) जल में अविलेय द्रव्य भार के अनुसार 1.0 प्रतिशत से अनधिक होगा,

(ग) जल में विलय द्रव्य (सोडियम क्लोराइ से भिन्न) भार के अनुसार 6.0 प्रतिशत से अनधिक होगा जिस में बालू, धूल उस के 1.0 प्रतिशत से अधिक न होगी,

(घ) कैल्सियम सल्फेट ($Ca So_4$) भार के अनुसार 50 प्रति शत से अनधिक किन्तु 2.0 प्रतिशत से कम नहीं होगा ।";

(xvi) मद क. 16.12 में, "इस में कोई कोलतार रंजक नहीं होगा " वाक्य के स्थान पर, "इस में लालरंग का कोई कोलतार रंजक नहीं होगा ।" वाक्य प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(xvii) मद क. 17.06 में, " (ग) आयोडी. मान " प्रविष्टि के सामने, "96 से 108 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर, " 96 से 110 तक " परन्तु यह तब जब कि आयोडीन मान 108 से अधिक हो जाए और अलीस की उपस्थिति से सम्बद्ध हैक्साब्रोमाइड परीक्षण किया जाए" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(xviii) मद क. 18.08 में, "इसमें कोई परिवर्द्धित रंग, सुवासकारी पदार्थ या अन्य रसायन नहीं होगा " शब्दों के स्थान पर, "इस में अनुज्ञात रंग या सुवासकारी पदार्थ हो सकेंगे जिस पर नियम 32 में यथा विनिर्दिष्ट लेबल लगाया जाएगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(xix) मद क. 18.10 में, " यह किसी अन्य उ अपद्रव्य से मुक्त होगा " शब्दों के स्थान पर, "इसमें अनुज्ञात रंग हो सकेंगे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(xx) मद क. 22 के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"क. 22—जिलेटिन, कोलाजिन के भागतः जल-अपघटन (हेड्रोलाइसिस) द्वारा प्राप्त ऐसा शोधित उत्पाद होगा जो पशुओं की त्वचा, सफेद संयोजी ऊतकों और हड्डियों से उपाप्त किया गया हो । यह बीजों, फ्लेकों, फांकों या मोटे-बारीक बारीक चूर्ण के रूप में रंगहीन, हल्कापीत और पारभासी होगा । इस में बहुत कम गंध और स्वाद होगा किन्तु वह आपत्तिजनक न हो जो इसकी विशेषता है और वह बोयूलन के समान हो । जब वह सूखा हो तो वह हवा में टिकाऊ हो किन्तु जब गीला हो तो जीवाणु संबंधी अपघटन के अधीन हो या घोल में टिकाऊ हो । इसमें—

(क) नमी 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) कुल भस्म (3.0 प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी

(ग) सल्फर डाइआक्साइड प्रतिमिलियन 350 भाग अधिक नहीं होगा ;

(घ) नाईट्रोजन शुष्क भार के आधार पर 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

मानक उपभोग के लिए आशयित जिलेटिन पर "जिलेटिन खाद्य श्रेणी" लेबल लगा होना चाहिए।

[सं० फा० 14/64/71—पी० एच०]

के० सत्यनारायण
अवर सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 2nd June 1972

G.S.R. 806.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 read with clause (1) of of article 299 of the Constitution, the President is pleased to make the following rule, namely:—

The Development Grant Agreement between India and Sweden, the Joint Financing Agreement between India, Sweden and the International Development Association and the other Documents required to be executed in exercise of the executive power of the

Union, in connection with the grant given by the Kingdom of Sweden, and the credit given by the International Development Association, for India's Population Project shall be executed and authenticated on behalf of the President by the Ambassador or, in his absence by the Charge D' Affaires for India in the United States of America.

Dated, at New Delhi this 2nd day of June, 1972.

[No. F. 4(21)72-FB. I.]

By order and in the name of the President.

G. V. RAMAKRISHNA, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नयी दिल्ली, 2 जून, 1972

सा०का०नि० 806.—संविधान के अनुच्छेद 299 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 77 खंड (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

भारत और स्वीडन के बीच हुए विकास अनुदान, करार, भारत स्वीडन और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के बीच हुए संयुक्त वित्त-व्यवस्था करार तथा भारत की जनसंख्या परियोजना के लिए स्वीडन राज्य द्वारा दिए जाने वाले अनुदान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संघ द्वारा दिए जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए जो अन्य प्रलेख निष्पादित करने होंगे वे राष्ट्रपति की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित भारत के राजदूत द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यदूत द्वारा निष्पादित और अधिप्रमाणित किए जायेंगे

नयी दिल्ली, दिनांक 2 जून 1972

[सं० एफ० 4 (21)-एफ० बी० I]

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम से

जी० वी० रामकृष्ण,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st July 1972

G.S.R. 807.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 157/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971, the Central Government hereby exempts cinematograph projectors, falling under Item No. 37B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and designed for projecting cinematograph films of 16 milimetre width, from the whole of the duty of excise leviable thereon

[No. 157/72-CE/F. No. 29/2/71-CX. I.]

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1972

सा०का०नि० 807.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 157/71 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 26 जुलाई, 1971 को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 37 ख के अन्तर्गत आने वाले सिनेमा प्रोजैक्टरों को जो 16 मिलिमीटर चौड़ाई की प्रक्षेपी सिनेमा फिल्मों के लिए परिकल्पित है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 157/72-के० उ० शु० सं० 29/2/71-सी० एक्स I]

G.S.R. 808.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 4/72-Central Excises, dated the 1st January, 1972, the Central Government hereby exempts sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), from so much of the duty of excise and the additional duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty and the additional duty calculated at twenty four per cent and six per cent, respectively, on the basis of the price determined by the Central Government, from time to time under sub-section (3C) of section 3 of the said Essential Commodities Act, as the price payable for such sugar to the producer thereof:

Provided that the element of the duty and the additional duty, if any, added to the price aforesaid shall be deducted before calculating the duty and the additional duty on the basis of such price.

[No. 158/72-CE F. No. 14/19/72-CX. I.]

S. R NARAYANAN, Under Secy.

सा०का०नि० 808.—अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/72 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 जनवरी 1972 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार, उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 की उपमद संख्या (1) के अन्तर्गत आने वाली ऐसी चीनी के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10)

की धारा 3 की उपधारा 2 के खण्ड (च) के अधीन बेचा जाना केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित है उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3ग) के अधीन ऐसी चीनी के निमाता को उस चीनी के लिए देय कीमत के रूप में केन्द्रीय सरकार के द्वारा समय-समय पर अवधारित कीमत के आधार पर क्रमशः चौबीस प्रतिशत और छह प्रतिशत पर अगणित शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से अधिक है :

परन्तु ऐसी कीमत के आधार पर शुल्क और अतिरिक्त शुल्क की गणना करने से पूर्व शुल्क और अतिरिक्त शुल्क की रकम, यदि कोई हो, जो पूर्वोक्त कीमत है, जोड़ी गई हो घटा दी जाएगी।

[सं० 158/72 क०उ०शु०/फ०सं० 14/19/72-क०उ०श०]

एस० आर० नारायणन,
अवर सचिव, भारत सरकार।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st July 1972

G.S.R. 809.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 118/65 Central Excises, dated the 24th July, 1965, namely—

In the said notification, for the words "on which the whole of the duty of excise is leviable", the words "on which the duty of excise is leviable whether in whole or in part" shall be substituted.

[No. 156/72.]

S. K. GHOSHAL, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1972

सा०का०नि० 809.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 118/65-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1965 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में जिस "पर ऐसा समस्त उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय है" शब्दों के स्थान पर, "जिस पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय है भले ही वह पूर्णतः या भगतः हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएगें।

[सं० 156/72-के०उ०शु०-फा०सं० 144/4/71-सी०एक्स० 4]

एस० के० घोषाल,
अवर सचिव, भारत सरकार।

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

New Delhi, the 23rd June 1972

G.S.R. 810.—In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Fourth Schedule to the Railway Board Secretariat Stenographers Service Rules, 1971, the Central Government in the Ministry of Railways in consultation with the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations, to amend the Railway Board Secretariat Stenographers Service Grade II (Competitive Examination) Regulations, 1971, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Railway Board Secretariat Stenographers Service Grade II (Competitive Examination) (Amendment) Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Board Secretariat Stenographers Service Grade II (Competitive Examination) Regulations, 1971, for sub-regulations (5) of regulation 8 the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"Candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard/ be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination."

[No. E71 OG4/3/RB3.]

P. LAL, Deputy Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 23 जून, 1972

सा०का०नि० 810.—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1971 की चौथी अनुसूची के पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय, लोक सेवा संघ आयोग के परामर्श से रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-2 (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ; अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-2 (प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) विनियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र के प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-2 (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1971 में विनियम 8 के उप-विनियम (5) की जगह निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का कोटा, सामान्य स्तर के आधार

पर, पूरा न होता हो तो इन जातियों के लिए आरक्षित जितनी रिक्तियां भरने से रह जायें, उन्हें भरने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की सिफारिस की जा सकेगी, बशर्ते ऐसे उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के योग्य हों, भले ही परीक्षा में योग्यता-क्रम में उनका स्थान कहीं भी हो।"

[सं० ई० 71 ओ० जी० 4/3 आ० बी० 3]

पुरुषोत्तम लाल,
उप-सचिव, रेलवे बोर्ड ।

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS
(P. & T. Board)

New Delhi, the 16th June 1972

G.S.R. 811.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 16, in sub-rule (1), for the words "Express inland telegrams", the words "Inland telegrams" shall be substituted.

[No. 35-4/72/T-2.]
G. H. WILLIAMS,
Director (Telegraph Traffic)

संचार मंत्रालय
(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 16 जून, 1972

जी० एस० आर० 811.—भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने भारतीय तार नियमावली 1951 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नवर्ती नियम बनाए हैं, यथा:—

1. (1) इन नियमों को भारतीय तार (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 कहा जाएगा ।

(2) वे तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 16 उप-नियम (1) में इन शब्दों "तुरंत अन्तर्देशीय तारों" के स्थान पर ये शब्द "अन्तर्देशीय तारों" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 35-4/72/टी०-2]
जी० एच० विलियम्स,
निदेशक, तार परियात ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 19th June 1972

G.S.R. 812.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Service Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Service (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. To rule 28 of the Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Service Rules, 1971, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that a duty post may also be held by an Officer in the Junior Scale of the Indian Administrative Service Cadre of the Union Territories and in that event any such duty post shall be treated as a Central Civil Post, Class I."

[No. 1/23/70-DH(S)(1).]
R. C. JAIN, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जून 1972

का०सा०नि० 812.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस बारे में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली और अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

1. (1) इन नियमों को दिल्ली और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जायेंगे ।

2. दिल्ली और अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सिविल नियम, 1971 के नियम 28 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा यथा :—"यह व्यवस्था की जाती है कि ड्यूटी पोस्ट पर भारतीय प्रशासन सेवा के संघ शासित क्षेत्र संघर्ग के कनिष्ठ वेतन क्रम का अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकेगा और स्थिति में किसी भी ऐसी ड्यूटी पोस्ट को केन्द्रीय सिविल पद, श्रेणी I माना जाएगा ।

[सं० 1/23/70-दि०हि० (से०) (i)]

आर० सी० जैन०,
उप सचिव ।

New Delhi, the 21st June 1972

G.S.R. 813.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Foreigners (Restriction on Chinese Nationals) Order, 1962.

1. (1) This Order may be called the Foreigners (Restriction on Chinese Nationals) Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. For the existing paragraph 3 of the Foreigners (Restriction on Chinese Nations) Order, 1962, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"3. No Chinese national shall—

(a) leave the district in which his registered address is situated, or

(b) absent himself from his registered address for a period exceeding seven days,

without obtaining the prior permission in writing of the Registration Officer concerned and any such permission shall be subject to such conditions as the Registration Officer may think fit to impose.

Explanation.—For the purposes of clause (a), the following areas in the State of West Bengal, namely:—

(i) the city of Calcutta;

(ii) Dhapa area, Jessore Road, Baranagore, Dum Dum Airport, Jadavpur and Behala in the district of 24-Parganas; and

(iii) the twon of Howrah including the Howrah Railway Station in the district of Howrah;

shall be deemed to be within the same district of registration".

[No. 11013/2/72-F. I.]

B. R. PATEL, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1972

सा० का० नि० 48.—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 34 की उपधारा (i) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत रक्षा अधिनियम, 1971 के नियम 7 द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) में निर्दिष्ट निषिद्ध स्थानों के बारे में उक्त अनुसूची के कालम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकता है।

अनुसूची

क्रम सं०	निषिद्ध स्थानों के नाम तथा उनका वर्णन	नियम 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के पद नाम।
(1)	(2)	(3)
1.	नागर विमानन के महानिदेशक के नियंत्रणाधीन सिविल हवाई अड्डों के निम्नलिखित एकक/प्रतिस्थान।	
	(i) रेडियो अधिग्राही तथा प्रसारण केन्द्र, विमान-संचालन तथा अवतारण सहायता।	(क) सिविल विमानन के महानिदेशक।
	(ii) विमान शालाएं तथा विमान खड़े करने के क्षेत्र; इंजीनियरिंग तथा अनुरक्षण कर्मशालाएं; भण्डार कक्ष तथा डिपो।	(ख) सिविल विमानन के उप महानिदेशक।
	(iii) तेल भरने वाले प्रतिष्ठान।	(ग) हवाई अड्डों का कोई नियंत्रक।
	(iv) अग्नि-शमन प्रतिष्ठान	(घ) संचार व्यवस्था का कोई नियंत्रक।
	(v) हवाई अड्डा प्रकाश प्रतिष्ठान समेत प्रकाश तथा टेलीफून सेवा प्रतिष्ठान।	(ङ) भारत में किसी वैमानिक संचार केन्द्र का कोई राजपत्रित कार्यभारी अधिकारी।
	(vi) विमान यातायात सेवा	(च) भारत में असैनिक हवाई अड्डा का कोई राजपत्रित कार्यभारी अधिकारी।
	(vii) बिजली तथा जल पूर्ति प्रतिष्ठान,	

(1)	(2)	(3)
	(viii) धावन-मार्ग, टैक्सी-मार्ग तथा एप्रन्स।	(छ) भारत में किसी मौसम विज्ञान कार्यालय का कोई राजपत्रित कार्यभारी अधिकारी।
	(ix) मौसम विज्ञान एकक तथा प्रतिष्ठान।	
2. किसी वैज्ञानिक संचार केन्द्र के निम्नलिखित एकक / प्रतिष्ठान		
	(i) प्रसारण केन्द्र (ii) दूरवर्ती अधिग्राही केन्द्र (iii) उपकरण अवतारण प्रणाली जिसमें स्थान निर्धारक, ग्लाइड पथ, मध्य अंकक (मिडिल मार्कर) तथा बाहरी अंकक (आउटर मार्कर) प्रतिष्ठान। (iv) अत्यधिक उच्च आवृत्ति सर्वदेशिक रेडियो परिसर प्रतिष्ठान। (v) अत्यधिक उच्च आवृत्ति दिशा का पता लगाने वाला प्रतिष्ठान। (vi) रेडियो परिसर प्रतिष्ठान।	क्रम संख्या 1 की (क) से (च) तक की मदों के सामने कालम (3) में उल्लिखित सभी अधिकारी।
3	केन्द्रीय रेडियो भण्डार डिपो, नई दिल्ली—वह समस्त क्षेत्र जिसमें डिपो स्थित है।	(क) सिविल विमानन के महा निदेशक। (ख) सिविल विमानन के उप महानिदेशक। (ग) रेडियो भण्डार डिपो, नई दिल्ली के नियंत्रक।
4.	रेडियो निर्माण तथा विकास एकक, नई दिल्ली—वह समस्त क्षेत्र जिसमें ये एकक स्थित हैं।	(क) सिविल विमानन के महानिदेशक। (ख) सिविल विमानन के उप महानिदेशक। (ग) रेडियो निर्माण व विकास, नई दिल्ली के नियंत्रक।
5.	तकनीकी केन्द्र, सिविल विमानन विभाग, नई दिल्ली—वह समस्त क्षेत्र जिसमें यह केन्द्र स्थित है।	(क) सिविल विमानन के महा निदेशक। (ख) सिविल विमानन के उप महा निदेशक। (ग) निदेशक, अनुसंधान तथा विकास, सिविल विमानन के महा निदेशक का कार्यालय। (घ) उप-निदेशक, अनुसंधान तथा विकास, सिविल विमानन के महानिदेशक का कार्यालय।
6.	नई दिल्ली में मौसम विज्ञान संबंधी कर्मशाला वह समस्त क्षेत्र जिसमें कर्मशाला स्थित हैं।	वैधशालाओं (उपकरणों) के उप महानिदेशक।
7.	पूना में मौसम विज्ञान संबंधी कर्मशाला—वह समस्त क्षेत्र जिसमें कर्मशाला स्थित है।	निदेशक (उपकरण), मौसम विज्ञान संबंधी कार्यालय पूना।
8.	आगरा में हाइड्रोजन कारखाना—वह समस्त क्षेत्र जिसमें कारखाना स्थित है	कार्यभारी मौसम विज्ञानी, हाइड्रोजन। कारखाना, आगरा

9.	मौसम विज्ञान संबंधी संचार केन्द्र, कोलाबा वैधशाला, कोलाबा, बम्बई– वह समस्त क्षेत्र जिसमें केन्द्र स्थित है।	सहायक मौसम विज्ञानी,	कार्यभारी मौसम विज्ञान संबंधी संचार केन्द्र, कोलाबा वैधशाल, बम्बई।

[सं० 28/7/71-पोल-2]

बी० के० गोस्वामी,
उप सचिव।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

MERCHANT SHIPPING

New Delhi, the 31st May 1972

G.S.R. 814.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 218 of the Merchant Shipping Act, 1958, (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Welfare Board for Seafarers Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Welfare Board for Sea-farers (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the National Welfare Board for Seafarers Rules, 1963, after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:—

"(k) two non-officials to be nominated by the Central Government".

[No. 14-MT(12)/70.]

J. K. BHATTACHARYA, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

व्यापार पोत

नई दिल्ली, 31 मई, 1972

जी०एस०आर० 814.—व्यापार पोत अधिनियम, 1958, (1958 का 44) की धारा 218 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) ये नियम नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 में खंड (जे) के बाद निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाए अर्थात :—

"(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किये जाने वाले दो गैर सरकारी कर्मचारी।"

[सं० 14–एम०टी०(12)/70]

जे० के० भट्टाचार्य, उप-सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972